The Workmen's Compensation Act, 1923

(Act No. 8 of 1923)

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

(1923 का अधिनियम संख्यांक 8)

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

धाराओं का क्रम

अध्याय 1
प्रारम्भिक

धाराएं		पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	70
2.	परिभाषाएं	70

अध्याय 2
कर्मकारों के लिए प्रतिकर

3.	प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व	72
4.	प्रतिकर की रकम	74
4क.	शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति	76
5.	मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति	76
6.	पुनर्विलोकन	77
7.	अर्धमासिक संदायों का संराशीकरण	77
8.	प्रतिकर का वितरण	77
9.	प्रतिकर का समनुदिष्ट, कुर्क या भारित न किया जाना	78
10.	सूचना और दावा	78
10क.	प्राणान्तक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विवरणों की नियोजकों से अपेक्षा करने की शक्ति	79
10ख.	प्राणान्तक दुर्घटनाओं और गम्भीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्टें	80
11.	चिकित्सीय परीक्षा	80
12.	संविदा करना	81
13.	पर-व्यक्ति के विरुद्ध नियोजक के उपचार	81
14.	नियोजक का दिवाला	81
14क.	प्रतिकर नियोजक द्वारा अन्तरित आस्तियों पर प्रथम भार होगा	82
15.	मास्टरों और नाविकों से सम्बद्ध विशेष उपबंध	82
15क.	वायुयानों के कैप्टनों और कर्मीदल के अन्य सदस्यों से संबंधित विशेष उपबंध	84
15ख.	कंपनियों और मोटरयानों के विदेश में के कर्मकारों से संबंधित विशेष उपबंध	84
16.	प्रतिकर के बारे में विवरणियां	85
17.	संविदा द्वारा त्याग	85
18.	[निरसित]	85
18क.	शास्तियां	85

अध्याय 3
आयुक्त

19.	आयुक्तों को निर्देश	85
20.	आयुक्तों की नियुक्ति	86
21.	कार्यवाहियों का स्थान और अन्तरण	86
22.	आवेदन का प्ररूप	87
22क.	प्राणान्तक दुर्घटनाओं की दशाओं में अतिरिक्त निक्षेप अपेक्षित करने की आयुक्त की शक्ति	87
23.	आयुक्तों की शक्तियां और प्रक्रिया	87

24. पक्षकारों की हाजिरी 87
25. साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग 88
26. खर्चे 88
27. मामलों को निवेदित करने की शक्ति 88
28. करारों का रजिस्ट्रीकरण 88
29. करार को रजिस्ट्रीकृत कराने में असफल रहने का प्रभाव 88
30. अपीलें 89
30क. अपील का विनिश्चय होने तक कतिपय संदायों का विधारण 89
31. वसूली 89

अध्याय 4

नियम

32. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति 90
33. [निरसित] 91
34. नियमों का प्रकाशन 91
35. प्रतिकर के रूप में दिए गए धन के अन्तरण के लिए अन्य देशों के साथ किए गए ठहरावों को क्रियान्वित करने के लिए नियम 91
36. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना 92

अनुसूची 1—उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण/आंशिक निःशक्तता हुई है 92

अनुसूची 2—उन व्यक्तियों की सूची जो कर्मकार की परिभाषा के अन्तर्गत धारा 2(1) (ढ) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए आते हैं 95

अनुसूची 3—उपजीविकाजन्यरोगों की सूची 98

अनुसूची 4—कतिपय मामलों में संदेय प्रतिकर 100

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

(1923 का अधिनियम संख्यांक 8)[1]

[5 मार्च, 1923]

नियोजन के कतिपय वर्गों द्वारा अपने कर्मकारों को दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के निमित्त प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

अतः यह समीचीन है कि नियोजकों के कतिपय वर्गों द्वारा अपने कर्मकारों को दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के निमित्त प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध किया जाए;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है:—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 कहा जा सकेगा।

[2][(2) इसका विस्तार [3]*** सम्पूर्ण भारत पर है।]

(3) यह 1924 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

[4]* * * * * * *

(ख) "आयुक्त" से धारा 20 के अधीन नियुक्त कर्मकार प्रतिकर आयुक्त अभिप्रेत है;

(ग) "प्रतिकर" से इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित प्रतिकर अभिप्रेत है;

[5][(घ) "आश्रित" से मृत कर्मकार के निम्नलिखित नातेदारों में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात्:—

(i) विधवा, अप्राप्तवय [6][धर्मज या दत्तक] पुत्र, और अविवाहिता [6][धर्मज या दत्तक] पुत्री, या विधवा माता; तथा

(ii) पुत्र या पुत्री जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो शिथिलांग है, यदि वह कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित था या थी;

(iii) (क) विधुर;

(ख) माता-पिता जिसके अन्तर्गत विधवा माता नहीं आती है;

(ग) अप्राप्तवय अधर्मज पुत्र, अविवाहिता अधर्मज पुत्री, या यदि विवाहिता है और अप्राप्तवय है या यदि विधवा है और अप्राप्तवय है तो पुत्री चाहे वह [7][धर्मज हो या अधर्मज या दत्तक];

(घ) अप्राप्तवय भाई, या अविवाहिता बहन, या विधवा बहन यदि वह अप्राप्तवय है;

(ङ) विधवा पुत्र-वधु;

---

1. इस अधिनियम का गोवा, दमण और दीव पर 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा; दादरा और नागर हवेली पर 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी में 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा तथा लकादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप पर 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, विस्तार किया गया है।

शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुओं को लागू होने के संबंध में इस अधिनियम को उस अधिनियम की धारा 16 और अनुसूची द्वारा उपान्तरित किया गया है।

2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1970 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।
4. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-6-1959 से) खंड (क) का लोप किया गया।
5. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-6-1959 से) पूर्ववर्ती खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (15-9-1995 से) "धर्मज" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (15-9-1995 से) "धर्मज या अधर्मज" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

10—5 Min. L J. & C. A./ND/2000.

(च) पूर्वमृत पुत्र की अप्राप्तवय संतान;

(छ) पूर्वमृत पुत्री की अप्राप्तवय संतान, यदि उस संतान के माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है;

(ज) जहां कर्मकार के माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं हैं वहां पितामह और पितामही;

यदि वह कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः या भागतः आश्रित था या थी;]

[1][**स्पष्टीकरण**—उपखंड (ii) और उपखंड (iii) की मद (च) और मद (छ) के प्रयोजनों के लिए, पुत्र, पुत्री या संतान के प्रति निर्देशों के अंतर्गत क्रमशः दत्तक पुत्र, पुत्री या संतान है।]

(ङ) "नियोजक" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और नियोजक का कोई प्रबंध अभिकर्ता और मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है, और जब कि कर्मकार की सेवाएं उस व्यक्ति द्वारा, जिसके साथ कर्मकार ने सेवा या शिक्षुता की कोई संविदा की है, अन्य व्यक्ति को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई हैं या भाड़े पर दी गई हैं वहां "नियोजक" से जब तक वह कर्मकार उसके लिए काम करता रहता है, वह अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "प्रबंध अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का व्यवसाय या कारबार चलाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त है या कार्य कर रहा है, किन्तु इसके अन्तर्गत नियोजक[2] के अधीनस्थ व्यष्टिक प्रबंधक नहीं आता;

[3][(चच) "अप्राप्तवय" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;]

(छ) "आंशिक निःशक्तता" से जहां वह, निःशक्तता अस्थायी प्रकार की है वहां ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जिससे कर्मकार की उस नियोजन में उपार्जन सामर्थ्य कम हो जाती है, जिसमें वह उस दुर्घटना के समय जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता हुई, लगा हुआ था, और जहां कि निःशक्तता स्थायी प्रकार की है वहां ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे हर ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन-सामर्थ्य कम हो जाती है जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस समय समर्थ थाः परन्तु [4][अनुसूची 1 के भाग 2 में] विनिर्दिष्ट हर क्षति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता होती है;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है किसी [5][ऐसे केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या किसी [6][राज्य] के विधान-मंडल के अधिनियम] के अधीन, जो चिकित्सा-व्यवसायियों का रजिस्टर रखे जाने के लिए उपबंध करता है, [7]*** रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां ऐसा अन्तिम वर्णित कोई भी अधिनियम प्रवृत्त नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके बारे में राज्य सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अर्हित चिकित्सा व्यवसायी है;

[8]* * * * *

(ट) "नाविक" से किसी [9]*** [10][पोत] के कर्मीदल का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत [9]*** [10][पोत] का मास्टर नहीं आता;

(ठ) "पूर्ण निःशक्तता" से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, चाहे वह अस्थायी प्रकार की हो या स्थायी प्रकार की, जो किसी कर्मकार को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है, जिसे वह उस दुर्घटना के समय, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई थी, करने में समर्थ थाः

[11][परन्तु अनुसूची 1 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट हर क्षति के या उसके भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षतियों के समुच्चय के बारे में वहां जहां उपार्जन-सामर्थ्य की हानि का संकलित प्रतिशत, जैसा उक्त भाग 2 में उन क्षतियों के सामने विनिर्दिष्ट है, सौ या उससे अधिक होता है, यह समझा जाएगा, कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता हुई है;]

(ड) "मजदूरी" के अन्तर्गत, किसी यात्रा भत्ते से या किसी यात्रा सम्बन्धी रियायत के मूल्य से, या कर्मकार के नियोजक द्वारा किसी पेंशन या भविष्य-निधि में दिए गए अभिदाय से, या कर्मकार के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर हुए किन्हीं विशेष व्ययों

---

1. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।
2. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित।
3. इस अधिनियम का बंगाल को लागू होने के लिए कर्मकार प्रतिकर (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 3 द्वारा नया खंड (चच) अंतःस्थापित।
4. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 2 द्वारा (1-2-1963 से) "अनुसूची 1 में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केन्द्रीय विधान-मंडल के या भारत के किसी प्रान्त में किसी विधान-मंडल के अधिनियम" शब्द प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश (सं० 3), 1956 द्वारा "भाग क या भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-6-1959 से) चिकित्सा अधिनियम, 1858 के अधीन या इसे संशोधन करने वाला कोई अधिनियम, या" शब्दों का लोप किया गया।
8. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा खंड (ञ) का लोप किया गया।
9. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा "रजिस्ट्रीकृत" शब्द का लोप किया गया।
10. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा "किसी ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 2 द्वारा (1-2-1963 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

को पूरा करने के लिए उसे दी गई किसी राशि से भिन्न ऐसा विशेषाधिकार या फायदा आता है, जो धन के रूप में प्राक्कलित किया जा सकता है;

(ढ) "कर्मकार" से (उस, व्यक्ति से भिन्न, जिसका नियोजन आकस्मिक प्रकार का है और जो नियोजक के व्यवसाय या कारबार के प्रयोजनों के लिए नियोजित होने से अन्यथा नियोजित है) कोई ऐसा अभिप्रेत व्यक्ति है, जो—

(i) [1][रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (34)] में यथा परिभाषित ऐसा रेल सेवक है, जो किसी रेल के किसी प्रशासनिक, जिला या उपखंड कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, अथवा

[2][(i क) (क) किसी पोत का मास्टर, नाविक या कर्मीदल का अन्य सदस्य,

(ख) किसी वायुयान का कैप्टन या कर्मीदल का अन्य सदस्य;

(ग) किसी मोटर यान के संबंध में ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर के रूप में या किसी अन्य हैसियत में भर्ती किया गया कोई व्यक्ति;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी द्वारा विदेश में काम करने के लिए भर्ती किया जाता है,

(ii) किसी ऐसी हैसियत में, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, [3]*** [4]*** नियोजित है।

और जो भारत के बाहर किसी ऐसी हैसियत में, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, नियोजित है और, यथास्थिति, ऐसा पोत, वायुयान, मोटर यान अथवा कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है, अथवा];

चाहे नियोजन की संविदा इस अधिनियम के पारित होने से पहले की गई हो या उसके पश्चात् और चाहे ऐसी संविदा अभिव्यक्त हो या विवक्षित, मौखिक हो या लिखित रूप में; किन्तु इसके अन्तर्गत [5][संघ के सशस्त्र बल] [6]*** के सदस्य की हैसियत में कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं आता; और जिस कर्मकार को क्षति पहुंची है उसके प्रति निर्देश के अन्तर्गत, यदि कर्मकार मर गया है तो, उसके आश्रितों या उनमें से किसी के प्रति निर्देश होगा।

(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी की या [7][सरकार की ओर से] कार्य करने वाले किसी विभाग की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे प्राधिकारी या विभाग का व्यवसाय या कारबार है।

[8][(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात्, किसी ऐसी उपजीविका में नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग को, जिसके बारे में उसका समाधान हो गया है कि वह परिसंकटमय उपजीविका है, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 2 में जोड़ सकेगी और तदुपरि इस अधिनियम के उपबंध, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना की दशा में, व्यक्तियों के ऐसे वर्गों को राज्य के भीतर, लागू होंगे:

परन्तु ऐसे जोड़ते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध व्यक्तियों के ऐसे वर्गों को केवल विनिर्दिष्ट क्षतियों के बारे में ही लागू होंगे।]

अध्याय 2
कर्मकारों के लिए प्रतिकर

3. प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व—(1) यदि कर्मकार को अपने नियोजन से और उनके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित होती है तो उसका नियोजक इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का देनदार होगा:

परन्तु नियोजक—

(क) किसी ऐसी क्षति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप कर्मकार को [9][तीन] दिन से अधिक की कालावधि के लिए पूर्ण या आंशिक निःशक्तता नहीं रहती;

(ख) दुर्घटना [10][द्वारा हुई किसी क्षति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु [11][या स्थायीपूर्ण निःशक्तता] नहीं हुई है], और जो प्रत्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती हो कि—

(i) उसके होने के समय कर्मकार पर मदिरा या औषधियों का असर था, अथवा

(ii) कर्मकारों का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी आदेश या अभिव्यक्त रूप से बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मकार द्वारा जान-बूझकर की गई थी, अथवा

---

1. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।
3. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा "या तो शारीरिक श्रम द्वारा या" शब्दों का लोप किया गया।
4. 1984 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा (1-7-1984 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मजेस्टी के, नौसेना, सेना या वायु सेना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या रायल भारतीय समुद्री सेवा" शब्दों का लोप किया गया।
7. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (15-9-1995 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा (1-6-1959 से) "सात" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा "से होने वाली किसी कर्मकार को क्षति" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।

(iii) कोई ऐसा रक्षोपाय या अन्य युक्ति, जिसके बारे में वह जानता था कि वह कर्मकार का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपबन्धित की गई है, कर्मकार द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी, [1]**

[2]* * * *

इस प्रकार देनदार नहीं होगा।

[3][(2) यदि अनुसूची 3 के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मकार को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, या जिस नियोजक की सेवा में कर्मकार अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में छह मास से अन्यून की निरन्तर कालावधि के लिए (जिस कालावधि में किसी अन्य नियोजक के अधीन उसी ढंग के नियोजन में सेवा की कालावधि सम्मिलित नहीं होगी) नियोजित रहा है उस नियोजक की सेवा में रहने के समय यदि उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, या अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में कर्मकार को एक या अधिक नियोजनों की सेवा में ऐसी निरन्तर कालावधि के लिए जैसी ऐसे हर एक नियोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, रहने के समय यदि कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है तो उस रोग के लगने के बोर में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ज़ब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है:

[4][परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि—

(क) किसी क्रमकार को अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों की सेवा में रहने के समय कोई ऐसा रोग, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उप-जीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, ऐसी निरन्तर कालावधि के दौरान लग गया है जो उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि से कम है, तथा

(ख) वह रोग उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुआ है,

तो ऐसे रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है:

परन्तु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि कोई कर्मकार, जिसने अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में किसी नियोजक के अधीन या उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधकि नियोजकों के अधीन, उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट निरन्तर कालावधि के लिए सेवा की है और उसे ऐसी सेवा की समाप्ति के पश्चात् कोई ऐसा रोग लग गया है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में, यथास्थिति, उक्त भाग ख या उक्त भाग ग में विनिर्दिष्ट है और यह कि ऐसा रोग उस नियोजन से उद्भूत हुआ था तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है।]

[5][(2क) यदि अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मकार को उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाला कोई ऐसा उपजीविकाजन्य रोग लग जाता है, जिसके लगने के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ऐसा नियोजन एक से अधिक नियोजकों के अधीन था तो, ऐसे सब नियोजक प्रतिकर का ऐसे अनुपात में संदाय करने के दायी होंगे जैसा आयुक्त उन परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।]

(3) [6][केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार] किसी भी वर्णन के नियोजन को, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट नियोजनों में वैसी ही अधिसूचना द्वारा, जोड़ सकेगी और इस प्रकार जोड़े गए नियोजनों के बारे में उन रोगों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि वे क्रमशः उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं और तदुपरि उपधारा (2) के उपबन्ध, [7][केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, राज्य के भीतर] [8]*** ऐसे लागू होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया था कि वे रोग उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं।]

1. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा "अथवा" शब्द का लोप किया गया।
2. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा खंड (ग) का लोप किया गया।
3. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा (1-6-1959 से) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 3 द्वारा (1-2-1963 से) अन्तःस्थापित।
5. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 3 द्वारा (1-2-1963 से) उपधारा (2क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।
8. 1970 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

(4) उपधाराओं [1][(2), (2क)] और (3) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय किसी रोग के लिए कोई भी प्रतिकर कर्मकार को तब तक संदेय न होगा जब तक कि रोग उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा हुई किसी विनिर्दिष्ट क्षति के कारण से [2]***प्रत्यक्षतः हुआ नहीं माना जा सकता।

(5) यदि कर्मकार ने नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में किसी क्षति के लिए नुकसानी का कोई वाद संस्थित कर दिया है तो इसमें की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह कर्मकार को उस क्षति के लिए प्रतिकर पाने का कोई अधिकार प्रदान करती है, और किसी क्षति के लिए कर्मकार द्वारा किसी विधि-न्यायालय में नुकसानी के लिए कोई भी वाद न चल सकेगा,—

(क) यदि उसने उस क्षति के बारे में प्रतिकर का कोई दावा आयुक्त के समक्ष संस्थित कर दिया है, अथवा।

(ख) यदि उस क्षति के लिए प्रतिकर के संदाय का उपबन्ध करने वाला कोई करार कर्मकार और उसके नियोजन के बीच इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार हो चुका है।

[3][4. प्रतिकर की रकम— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात्:—

(क) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है	मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम से [4][पचास प्रतिशत] के बराबर रकम; या [5][पचास हजार रुपए] की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो;
(ख) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता हो जाती है।	मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के [6][साठ प्रतिशत] के बराबर रकम; या [7][साठ हजार रुपए] की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण 1— खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मकार के संबंध में, "सुसंगत गुणक" से अनुसूची 4 के पहले स्तंभ में की प्रविष्टि के सामने उस अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट गुणक अभिप्रेत है, जो वर्षों की उस संख्या को विनिर्दिष्ट करता है, जो कर्मकार के, प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती, अंतिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या के बराबर है।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी कर्मकार की मासिक मजदूरी [8][दो हजार रुपए] से अधिक है, वहां खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए उसकी मासिक मजदूरी केवल [8][दो हजार रुपए] समझी जाएगी।

---

1. 1959 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 3 द्वारा (1-6-1959 से) "उपधारा (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 3 द्वारा "पूर्णतः और" शब्दों का लोप किया गया।
3. 1984 के अधिनियम सं॰ 22 की धारा 3 द्वारा (1-7-1984 से) धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 4 द्वारा (15-9-1995 से) "40 प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 4 द्वारा (15-9-1995 से) "बीस हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 4 द्वारा (15-9-1995 से) "पचास प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 4 द्वारा (15-9-1995 से) "चौबीस हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 4 द्वारा (15-9-1995 से) "एक हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता हो जाती है	(i) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची 1 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है, उस प्रतिकर का, जो स्थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षति द्वारा कारित उपार्जन-सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, तथा (ii) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है, उस प्रतिकर का, जो थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षति द्वारा स्थायी रूप से कारित उपार्जन-सामर्थ्य की (जैसे अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निर्धारित किया जाए) हानि का आनुपातिक हो।

स्पष्टीकरण 1— जहां कि एक ही दुर्घटना से हक से अधिक क्षतियां होती है, वहां इस शीर्षक के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम संकलित कर ली जाएगी किन्तु किसी भी दशा में ऐसी नहीं होगी कि वह उस रकम से बढ़ जाए, जो उन क्षतियों के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता होने की दशा में संदेय होती।

स्पष्टीकरण 2— उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उपार्जन-सामर्थ्य का निर्धारण करने में, अर्हित चिकित्सा व्यवसायी, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षतियों के संबंध में उपार्जन-सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत का सम्यक् ध्यान रखेगा;

(घ) जहांकि क्षति के परिणामस्वरूप, चाहे पूर्ण चाहे आंशिक, अस्थायी निःशक्तता हो जाती है।	कर्मकार की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का अर्ध-मासिक संदाय उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

[1][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, भारत के बाहर हुई किसी दुर्घटना के संबंध में किसी कर्मकार को संदेय प्रतिकर की रकम नियत करते समय उस देश की विधि के अनुसार, जिसमें दुर्घटना हुई थी, ऐसे कर्मकार को अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की रकम को, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा और अपने द्वारा नियत की गई रकम में से उस देश की विधि के अनुसार कर्मकार को अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की रकम को घटा देगा];

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अर्ध-मासिक संदाय, जो उस दशा में,—

(i) जिसमें कि ऐसी निःशक्तता अट्ठाईस दिन या उससे अधिक रहती है, निःशक्तता की तारीख से; अथवा

(ii) जिसमें कि ऐसी निःशक्तता अट्ठाईस दिन से कम रहती है, निःशक्तता की तारीख से तीन दिन की प्रतीक्षा कालावधि के अवसान के पश्चात्, सौलहवें दिन को और तत्पश्चात् निःशक्तता के दौरान या पांच वर्ष की कालावधि के दौरान इनमें से जो भी कालावधि लघुतर हो, आधे-आधे मास पर संदेय होगाः

परन्तु—

(क) किसी ऐसी एकमुश्त रकम या अर्ध-मासिक संदायों में से, जिनका कर्मकार हकदार है, किसी संदाय या भत्ते की वह रकम काट ली जाएगी, जो कर्मचारी ने, यथास्थिति, ऐसी एकमुश्त रकम की या प्रथम अर्ध-मासिक संदाय की प्राप्ति से पूर्व, निःशक्तता की कालावधि के दौरान प्रतिकर के रूप में नियोजक से प्राप्त की है; तथा

(ख) कोई भी अर्ध-मासिक संदाय किसी भी दशा में इतनी रकम से, यदि कोई हो, अधिक नहीं होगा, जितनी से दुर्घटना के पहले कर्मकार की मासिक मजदूरी की आधी रकम उस मजदूरी की आधी रकम से अधिक है, जिसे वह दुर्घटना के पश्चात् उपार्जित कर रहा है।

स्पष्टीकरण—ऐसा कोई संदाय या भत्ता, जो कर्मकार ने चिकित्सा लेखे नियोजक से प्राप्त किया है, परन्तुक के खंड (क) के अर्थ के अन्दर प्रतिकर के रूप में उसके द्वारा प्राप्त संदाय या भत्ता नहीं समझा जाएगा।

(3) उस तारीख से पहले, जिसको कोई अर्ध-मासिक संदाय शोध्य होता है, निःशक्तता के दूर हो जाने पर, उस अर्ध-मास के लिए ऐसी राशि संदेय होगी जो उस अर्ध-मास में निःशक्तता की अस्तित्वावधि की आनुपातिक हो।

[1][(4) यदि कर्मकार को हुई क्षति के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नियोजक, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, आयुक्त के पास ऐसे कर्मकार की अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मकार के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहां कर्मकार

1. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 4 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।

1* * * * *

6. पुनर्विलोकन—(1) पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के अधीन के या आयुक्त के आदेश के अधीन के ऐसे अर्धमासिक संदाय का पुनर्विलोकन, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय है, आयुक्त द्वारा, या तो नियोजक के या कर्मकार के आवेदन पर, जिसके साथ अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी का यह प्रमाणपत्र होगा कि कर्मकार की दशा में तब्दीली हो गई है, या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे प्रमाणपत्र के बिना किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा।

(2) कोई भी अर्धमासिक संदाय इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, चालू रखा जा सकेगा, बढ़ाया जा सकेगा, घटाया जा सकेगा या समाप्त किया जा सकेगा, या यदि यह पाया जाए कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता हो गई है तो, उसे ऐसी एकमुश्त राशि में संपरिवर्तित किया जा सकेगा। जिसका कर्मकार हकदार है, किन्तु उस राशि में से ऐसी रकम कम कर दी जाएगी जो उसे अर्धमासिक संदायों के रूप में पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

7. अर्धमासिक संदायों का संराशीकरण—अर्धमासिक संदाय प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन, पक्षकारों के बीच के करार द्वारा, या यदि पक्षकारों में करार नहीं हो पाता और संदाय कम से कम छह मास तक किए जाते रहे हैं तो दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा आयुक्त को किए गए आवेदन पर, ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा, जो, यथास्थिति, पक्षकारों द्वारा करार पाई जाए या आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए।

8. प्रतिकर का वितरण — 2[(1) किसी ऐसे कर्मकार के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय आयुक्त के पास निक्षेप करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा, और सीधे नियोजक द्वारा कर दिए गए किसी ऐसे संदाय के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह प्रतिकर का संदाय है:

3[परन्तु मृत कर्मकार की दशा में नियोजक किसी भी आश्रित को 4[ऐसे कर्मकार की तीन मास की मजदूरी के बराबर रकम का अभिदाय प्रतिकर मद्दे कर सकेगा और उतनी रकम], जितनी उस आश्रित को संदेय प्रतिकर से अधिक न हो, ऐसे प्रतिकर में से आयुक्त द्वारा काट ली जाएगी और नियोजक को प्रतिसंदत्त कर दी जाएगी।]

(2) दस रुपए से अन्यून कोई अन्य ऐसी राशि, जो प्रतिकर के रूप में संदेय है, उस व्यक्ति के निमित्त, जो उसका हकदार है, आयुक्त के पास निक्षिप्त की जा सकेगी।

(3) आयुक्त के पास निक्षिप्त किसी प्रतिकर के सम्बन्ध में आयुक्त की रसीद पर्याप्त उन्मोचन होगी।]

(4) आयुक्त 5[किसी मृत कर्मकार के बारे में प्रतिकर के रूप में] उपधारा (1) के अधीन किसी धन के निक्षेप पर, 6*** यदि वह आवश्यक समझे तो आश्रितों को ऐसी तारीख को, जिसे वह प्रतिकर का वितरण अवधारित करने के लिए नियत करे अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए अपेक्षित करने वाली सूचना का प्रकाशन या हर एक आश्रित पर उसकी तामील ऐसी रीति से कराएगा जैसी वह उचित समझे। यदि आयुक्त का समाधान किसी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे हो जाता है कि कोई भी आश्रित विद्यमान नहीं है तो वह उस धन का अतिशेष उस नियोजक को, जिसके द्वारा वह संदत्त किया गया था, प्रतिसंदत्त कर देगा। आयुक्त किए गए सभी संवितरणों को विस्तारपूर्वक दर्शित करते हुए एक विवरण नियोजक के आवेदन पर देगा।

7[(5) किसी मृत कर्मकार के बारे में निक्षिप्त प्रतिकर, उपधारा (4) के अधीन की गई किसी कटौती के अध्यधीन रहते हुए, मृत कर्मकार के आश्रितों में या उनमें से किन्हीं में ऐसे अनुपात में, जिसे आयुक्त ठीक समझे, प्रभाजित कर दिया जाएगा या आयुक्त के स्वविवेकानुसार किसी एक आश्रित को आवंटित किया जा सकेगा।

1. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा जोड़ी गई उपधारा (2) का 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया।
2. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा मूल उपधारा (1) से (3) तक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 6 द्वारा परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 6 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 6 द्वारा (15-9-1995) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
7. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा मूल उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(6) जहां कि आयुक्त के पास निक्षिप्त किया गया कोई प्रतिकर किसी व्यक्ति को संदेय है वहां आयुक्त वह धन उसके हकदार व्यक्ति को उस दशा में जिसमें कि वह व्यक्ति जिससे प्रतिकर संदेय है स्त्री या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति नहीं है, देगा और अन्य दशाओं में दे सकेगा।

(7) जहां कि आयुक्त के पास निक्षिप्त कोई एकमुश्त राशि किसी स्त्री या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को संदेय है वहां, ऐसी राशि उस स्त्री के या ऐसे व्यक्ति की निर्योग्यता के दौरान उस व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसी रीति से, जैसी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट की जाए, विनिहित की जा सकेगी, उपयोजित की जा सकेगी या अन्यथा बरती जा सकेगी, और जहां कि विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को कोई अर्धमासिक संदाय संदेय है वहां, आयुक्त स्वप्रेरणा से या इस निमित्त अपने को किए गए किसी आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि संदाय उस निर्योग्यता के दौरान कर्मकार के किसी आश्रित को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे आयुक्त कर्मकार के कल्याणार्थ उपबन्ध करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझे, किया जाए।]

[1][(8)] जहां कि इस निमित्त अपने को किए गए किसी आवेदन पर या अन्यथा आयुक्त का समाधान हो जाता है कि प्रतिकर के रूप में दी गई किसी राशि के वितरण के सम्बन्ध में, या उस रीति के सम्बन्ध में, जिसमें ऐसे किसी आश्रित को संदेय कोई राशि विनिहित की जानी, उपयोजित की जानी या अन्यथा बरती जानी है, आयुक्त के आदेश में फेरफार, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो माता या पिता है संतान की उपेक्षा के कारण, या किसी आश्रित की परिस्थितियों में फेरफार के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से किया जाना चाहिए वहां, आयुक्त पूर्ववर्ती आदेश में फेरफार के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे वह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे:

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश तब तक न किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और न वह किसी ऐसी दशा में किया जाएगा, जिसमें कि उस आदेश में आश्रित द्वारा किसी ऐसी राशि का प्रतिसंदाय अन्तर्वलित होता हो जो उस आश्रित को पहले ही संदत्त की जा चुकी है।

[2][(9) जहां कि आयुक्त किसी आदेश में उपधारा (8) के अधीन इस तथ्य के कारण फेरफार करता है कि व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय कपट, प्रतिरूपण या अन्य अनुचित साधनों द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को या उसकी निमित्त इस प्रकार दी गई कोई रकम आगे धारा 31 में उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी।]

9. प्रतिकर का समनुदिष्ट, कुर्क या भारित न किया जाना—इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई भी एकमुश्त राशि या अर्धमासिक संदाय, इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी प्रकार समनुदिष्ट या भारित किए जाने के योग्य या कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं होगा, और न कर्मकार से भिन्न किसी व्यक्ति को विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त होगा और न कोई दावा उसके विरुद्ध मुजरा किया जाएगा।

10. सूचना और दावा—(1) [3][प्रतिकर के लिए कोई भी दावा तब तक आयुक्त द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि दुर्घटना की सूचना उसके घटित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र उस रीति से, जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित की गई है, न दे दी गई हो और जब तक कि दावा दुर्घटना होने के [4][दो वर्ष] के भीतर, या मृत्यु हो जाने की दशा में, मृत्यु की तारीख से [4][दो वर्ष] के भीतर, उसके समक्ष कर न दिया गया हो]:

परन्तु जहां कि दुर्घटना ऐसे रोग का लगना है, जिसके सम्बन्ध में धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होते हैं वहां, दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उन दिनों में से पहले दिन को हुई थी, जिनके दौरान कर्मकार उस रोग द्वारा कारित निःशक्तता के परिणामस्वरूप काम पर से निरन्तर अनुपस्थित रहा था:

[5][परन्तु यह भी कि ऐसा कोई रोग लगने के कारण हुई ऐसी आंशिक निःशक्तता की दशा में, जो कर्मकार को काम से अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर नहीं करती, दो वर्ष की कालावधि की गणना उस दिन से की जाएगी जिसको कर्मकार निःशक्तता की सूचना अपने नियोजक को देता है:

परन्तु यह भी कि यदि कोई कर्मकार, जो किसी नियोजन में, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस नियोजन के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट निरन्तर कालावधि के लिए नियोजित किए जा चुकने पर, इस प्रकार नियोजित नहीं रह जाता और उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले किसी

1. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा उपधारा (6) को उपधारा (8) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
2. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा मूल शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 8 द्वारा (1-6-1959 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 5 द्वारा (1-2-1963 से) अन्तःस्थापित।

उपजीविकाजन्य रोग के लक्षण नियोजन की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर उसमें विकसित हो जाते हैं, दुर्घटना उस दिन हुई समझी जाएगी जिस दिन उन लक्षणों का पता पहले पहल चला था:]

[1][परन्तु यह भी कि—

(क) यदि दावा कर्मकार की ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के बारे में [2][किया] गया है जो नियोजक के परिसर में या किसी ऐसे स्थान में हुई थी, जहां कर्मकार दुर्घटना के समय नियोजक या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन काम कर रहा था और कर्मकार ऐसे परिसर में, या ऐसे स्थान में, या नियोजक के किसी परिसर में मरा था, या उस परिसर या स्थान का, जहां दुर्घटना हुई थी, सामीप्य छोड़े बिना मरा था, अथवा

(ख) यदि नियोजक को [3][या कई नियोजकों में से किसी एक को, या व्यवसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के प्रबन्ध के लिए जिसमें क्षत कर्मकार नियोजित था, नियोजक के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति को] दुर्घटना का ज्ञान किसी अन्य स्रोत से, उस समय या उस समय के आसपास हो गया था, जब वह दुर्घटना हुई थी,

तो सूचना का अभाव या उसमें कोई त्रुटि या अनियमितता [4][दावे के ग्रहण] किए जाने के लिए वर्जन न होगी:]

परन्तु यह भी कि इस बात के होते हुए भी कि इस उपधारा में यथाउपबन्धित सम्यक् समय के भीतर सूचना नहीं दी गई है या दावा नहीं [5][किया] गया है, आयुक्त किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी भी दावे को उस दशा में [6][ग्रहण] और विनिश्चित कर सकेगा, जिसमें उसका समाधान हो जाए कि, यथास्थिति, वैसे सूचना देने या दावा [7][करने] में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी।

(2) ऐसी हर सूचना में क्षत व्यक्ति का नाम और पता दिया होगा और सरल भाषा में क्षति का कारण और वह तारीख जिसको दुर्घटना हुई, कथित होगी और उसकी तामील नियोजक पर या कई नियोजकों में से [8][किसी एक] पर, या व्यवसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के, जिसमें क्षत कर्मकार नियोजित था, प्रबन्ध के लिए नियोजक के प्रति [9]***उत्तरदायी किसी व्यक्ति पर की जाएगी।

[10][(3) राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि विहित वर्ग के नियोजक अपने परिसर में, जिसमें कर्मकार नियोजित हैं, विहित प्ररूप में एक सूचना-पुस्तक रखेंगे जिस तक परिसर में नियोजित किसी भी क्षत कर्मकार की या सद्भावपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी युक्तियुक्त समयों पर आसानी से पहुंच हो सकेगी।

(4) इस धारा के अधीन सूचना की तामील, उस व्यक्ति के, जिस पर उसकी तामील की जानी है, निवास-स्थान या किसी कार्यालय या कारबार के स्थान में परिदत्त करके या उस पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजकर, या जहां कि सूचना-पुस्तक रखी जाती है वहां सूचना-पुस्तक में प्रविष्टि करके, की जा सकेगी।]

[11][**10क. प्राणान्तक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विवरणों की नियोजकों से अपेक्षा करने की शक्ति**—(1) जहां कि आयुक्त को किसी स्रोत से यह इत्तिला प्राप्त होती है कि कोई कर्मकार अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के परिणामस्वरूप मर गया है वहां वह उस कर्मकार के नियोजक को उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज सकेगा कि वह विहित प्ररूप में ऐसा विवरण, जिसमें वे परिस्थितियां जिनमें कर्मकार की मृत्यु हुई बताई गई हो और यह उपदर्शित किया गया हो कि नियोजक की राय में वह उस मृत्यु के कारण प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी है या नहीं, उस सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर निवेदित करे।

(2) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी है तो वह सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर ऐसा निक्षेप करेगा।

---

1. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 5 द्वारा "कार्यवाहियों का किया जाना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 5 द्वारा "संस्थित किया" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 5 द्वारा "स्वीकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 5 द्वारा "संस्थित करने" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1924 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "किसी एक या" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 5 द्वारा "प्रत्यक्षतः" शब्द का लोप किया गया।
10. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 7 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी नहीं है, तो वह अपने विवरण में उन आधारों को उपदर्शित करेगा जिन पर वह दायित्व से इन्कार करता है।

(4) जहां कि नियोजक ने दायित्व से इस प्रकार इन्कार किया है, वहां आयुक्त ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे मृत कर्मकार के आश्रितों में से किसी को भी, इत्तिला दे सकेगा कि आश्रित प्रतिकर का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें ऐसी अन्य अतिरिक्त इत्तिला, जैसी वह ठीक समझे, दे सकेगा।

10ख. प्राणान्तक दुर्घटनाओं और गम्भीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्टें—(1) जहां कि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि नियोजक के परिसर में घटित किसी ऐसी दुर्घटना की, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु [1][या गम्भीर शारीरिक क्षति] हो गई हो, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दी जाए, वहां, वह व्यक्ति, जो सूचना देने के लिए अपेक्षित है, मृत्यु [1][या गम्भीर शारीरिक क्षति] के सात दिन के भीतर आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वे परिस्थितियां बताई जाएंगी जिनमें मृत्यु [1][या गम्भीर शारीरिक क्षति] हुई है;

परन्तु जहां कि राज्य सरकार ने ऐसा विहित किया हो वहां सूचना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ऐसी रिपोर्ट आयुक्त को भेजने के बजाय उस प्राधिकारी को भेज सकेगा जिसे सूचना देने के लिए वह व्यक्ति अपेक्षित है।

[1][**स्पष्टीकरण**—"गंम्भीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या किसी अंग की स्थायी क्षति अथवा दृष्टि या श्रवण शक्ति की स्थायी हानि या उसे स्थायी क्षति अथवा किसी अंग में अस्थिभंग अथवा क्षत व्यक्ति की अपने काम से बीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए मजबूरी के कारण अनुपस्थिति अन्तर्वलित है या अन्तर्वलित होना पूर्णतः अधिसंभाव्य है।]

(2) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबन्धों का विस्तार, उस उपधारा की परिधि में आने वाले परिसरों से भिन्न परिसरों के किसी वर्ग पर कर सकेगी, और ऐसी अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो आयुक्त को रिपोर्ट भेजेंगे।

[1][(3) इस धारा में की कोई भी बात उन कारखानों को लागू न होगी जिनको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है।]

11. चिकित्सीय परीक्षा—(1) जहां कि कर्मकार ने दुर्घटना की सूचना दी है वहां, यदि नियोजक उस समय से, जब सूचना की तामील हुई थी, तीन दिन का अवसान होने के पहले उससे यह प्रस्थापना करता है कि किसी अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा मुफ्त कराई जाएगी, तो, वह अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा और कोई भी कर्मकार, जो इस अधिनियम के अधीन अर्धमासिक संदाय पाता है, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो, समय-समय पर अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा:

परन्तु कर्मकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार से अन्यथा, या उन अन्तरालों से, जो विहित किए जाएं, लघुतर अन्तरालों पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा परीक्षा कराने के लिए अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा।

(2) यदि कर्मकार नियोजक द्वारा उपधारा (1) के अधीन या आयुक्त द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर, अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अपनी परीक्षा कराने के लिए अपने को प्रस्तुत करने से इन्कार करता है या उसमें किसी प्रकार से बाधा डालता है तो ऐसे इन्कार या ऐसी बाधा के बने रहने के दौरान उसका प्रतिकर का अधिकार उस दशा के सिवाय निलम्बित रहेगा जिसमें इन्कार की दशा में वह इस प्रकार अपने को प्रस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुआ था।

(3) यदि कर्मकार उस कालावधि के अवसान से पूर्व, जिसके भीतर वह चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किए जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन दायित्वाधीन है, इस प्रकार परीक्षित हुए बिना उस स्थान के, जिसमें वह नियोजित था, सामीप्य से स्वेच्छापूर्वक चला जाता है तो उसका प्रतिकर का अधिकार तब तक के लिए निलम्बित रहेगा जब तक वह लौट नहीं आता और ऐसी परीक्षा कराने के लिए अपने को पेश नहीं कर देता।

(4) जहां कि ऐसा कर्मकार, जिसका प्रतिकर का अधिकार उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलम्बित हो गया है, चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को वैसे प्रस्तुत किए बिना, जैसा उन उपधाराओं में से किसी के द्वारा अपेक्षित है, मर जाता है वहां, यदि आयुक्त ठीक समझे तो वह मृत कर्मकार के आश्रितों को प्रतिकर का संदाय निर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) जहां कि प्रतिकर का अधिकार उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलम्बित है वहां निलम्बन की कालावधि के लिए कोई भी प्रतिकर संदेय नहीं होगा और यदि निलम्बन की कालावधि धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रतीक्षा-कालावधि के अवसान के पूर्व प्रारम्भ होती है तो प्रतीक्षा-कालावधि में उतनी कालावधि बढ़ा दी जाएगी जिसके दौरान निलम्बन बना रहता है।

---

1. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित।

(6) जहां कि क्षत कर्मकार ने उस अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अपनी परिचर्या कराने से इन्कार कर दिया है, जिसकी मुफ्त सेवाएं उसे नियोजक द्वारा प्रस्थापित की गई हैं, या ऐसी प्रस्थापना प्रतिगृहीत कर चुकने के पश्चात् ऐसे चिकित्सा-व्यवसायी के अनुदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है वहां [1][यदि यह साबित कर दिया जाता है कि कर्मकार की परिचर्या किसी अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा तत्पश्चात् नियमित रूप से नहीं हुई है या उसकी ऐसी परिचर्या तो हुई है पर वह अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी के अनुदेशों का अनुसरण करने में जानबूझकर असफल रहा है और ऐसा इन्कार, अवहेलना या असफलता उस मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त थी] और उससे क्षति गुरूतर हो गई है तो क्षति और उसके परिणाम-स्वरूप हुई निःशक्तता के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसी प्रकार की और उसी अस्तित्वावधि की है, जिस प्रकार की और जिस अस्तित्वावधि की उनके होने की प्रत्याशा उस दशा में युक्तियुक्त रूप में की जा सकती थी जिसमें कि कर्मकार की परिचर्या किसी अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा नियमित रूप से की गई होती [2][और उसके अनुदेशों का अनुसरण कर्मकार ने किया होता], और यदि कोई प्रतिकर संदेय है तो वह तदनुसार संदेय होगा।

12. संविदा करना—(1) जहां कि कोई व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में मालिक कहा गया है), अपने व्यवसाय या कारबार के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में ठेकेदार कहा गया है) किसी ऐसे पूरे काम या उसके किसी भाग को, जो मालिक के व्यवसाय या कारबार का मामूली तौर से भाग है, ठेकेदार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन करने के लिए संविदा करता है वहां, उस काम के निष्पादन में नियोजित कर्मकार को मालिक ऐसे प्रतिकर का देनदार होगा जिसका देनदार वह होता यदि वह कर्मकार उसके द्वारा अव्यवहित रूप से नियोजित किया गया होता; और जहां कि मालिक से प्रतिकर के लिए दावा किया जाता है वहां यह अधिनियम, इसके सिवाय कि प्रतिकर की रकम का हिसाब कर्मकार की उस नियोजक के अधीन मजदूरी के प्रति निर्देश से किया जाएगा जिसके द्वारा वह अव्यवहित रूप से नियोजित है, इस प्रकार लागू होगा मानो नियोजक के प्रति निर्देशों के लिए मालिक के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित कर दिए गए हों।

(2) जहां कि मालिक इस धारा के अधीन प्रतिकर का देनदार है वहां वह ठेकेदार से [3][या किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे कर्मकार प्रतिकर वसूल कर सकता था, अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होगा, और जहां कि ठेकेदार, जो स्वयं मालिक है, इस धारा के अधीन प्रतिकर का या किसी मालिक की क्षतिपूर्ति करने का दायी है वहां वह अपनी क्षतिपूर्ति अपने साथ ठेकेदार का सम्बन्ध रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिससे कर्मकार प्रतिकर वसूल कर सकता था, कराने का हकदार होगा] और किसी ऐसी क्षतिपूर्ति के अधिकार और रकम विषयक सभी प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किए जाएंगे।

(3) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी कर्मकार को मालिक के बजाय ठेकेदार से प्रतिकर वसूल करने से निवारित करती है।

(4) यह धारा किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें कि दुर्घटना उस परिसर पर, में या के आसपास न होकर अन्यत्र हुई है, जिस पर मालिक ने, यथास्थिति, काम के निष्पादन का उपक्रम किया है या प्रायिकृतः करता है या जो अन्यथा उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन है।

13. पर-व्यक्ति के विरुद्ध नियोजक के उपचार—जहां कि कर्मकार ने किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर वसूल किया है जो ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई थी जिनमें उसके लिए नुकसानी के लिए संदाय करने का किसी ऐसे व्यक्ति पर विधिक दायित्व सृष्ट हुआ था जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसने प्रतिकर दिया है वहां वह व्यक्ति जिसने प्रतिकर दिया है और कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 12 के अधीन क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा की गई है उस व्यक्ति से अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होगा जो नुकसानों के लिए संदाय करने का यथापूर्वोक्त रूप में दायी है।

14. नियोजक का दिवाला—(1) जहां कि नियोजक ने किसी कर्मकार के प्रति इस अधिनियम के अधीन के अपने किसी दायित्व के बारे में किन्हीं बीमाकर्ताओं से संविदा की है, वहां नियोजक के दिवालिया हो जाने की, या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन करने की, या ठहराव करने की कोई स्कीम बनाने की दशा में, या यदि नियोजक कोई कम्पनी है तो कम्पनी का परिसमापन प्रारम्भ होने की दशा में, उस दायित्व के बारे में बीमाकर्ताओं के विरुद्ध नियोजक के अधिकार कर्मकार को, दिवाले या कम्पनियों के परिसमापन से सम्बद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे, और ऐसे किसी अंतरण पर बीमाकर्ताओं के वे ही अधिकार और उपचार होंगे, और वे उन्हीं दायित्वों के अध्यधीन ऐसे होंगे, मानो वे नियोजक हों, किन्तु ऐसे कि बीमाकर्ता कर्मकार के प्रति उस दायित्व से अधिक दायित्व के अधीन न होंगे जिसके अधीन वे नियोजक के प्रति होते।

1. 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) यदि कर्मकार के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व कर्मकार के प्रति नियोजक के दायित्व से कम है तो कर्मकार दिवाला सम्बन्धी कार्यवाहियों में या समापन में अतिशेष को साबित कर सकेगा।

(3) जहां कि ऐसे किसी मामले में, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, बीमाकर्ताओं के साथ नियोजक की (प्रीमियमों के संदाय के लिए अनुबंध से भिन्न) संविदा, उसके किन्हीं निबन्धनों या शर्तों का अननुपालन नियोजक द्वारा किए जाने के कारण शून्य या शून्यकरणीय है वहां, उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह संविदा शून्य या शून्यकरणीय न हो, और कर्मकार को दी गई रकम को बीमाकर्ता दिवाले की कार्यवाहियों में या समापन में साबित करने के हकदार होंगे:

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे जिसमें कर्मकार दुर्घटना होने और उसके परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता की सूचना दिवाले या समापन की कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने की जानकारी पाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र बीमाकर्ताओं को देने में असफल रहता है।

(4) यह समझा जाएगा कि उन ऋणों के अन्तर्गत, जो किसी दिवालिए की सम्पत्ति के वितरण में या परिसमापनाधीन किसी कम्पनी की आस्तियों के वितरण में प्रसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) की धारा 49 के अधीन या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) की धारा 61 के अधीन या [1][कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530] के अधीन अन्य सब ऋणों पर पूर्विकता देकर दिए जाने हैं, किसी ऐसे प्रतिकर मद्धे शोध्य रकम आती है जिसके लिए दायित्व, यथास्थिति, दिवालिए के न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से पहले या परिसमापन के प्रारम्भ की तारीख से पहले प्रोद्भूत हो गया था और वे अधिनियम तदनुसार प्रभावी होंगे।

(5) जहां कि प्रतिकर अर्धमासिक संदाय है वहां उस मद्धे शोध्य रकम इस धारा के प्रयोजनों के लिए उतनी एकमुश्त राशि की रकम मानी जाएगी जितनी के लिए अर्धमासिक संदाय का, यदि यह मोचनीय होता, उस दशा में मोचन किया जा सकता जिसमें कि धारा 7 के अधीन उस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन किया गया होता और ऐसी रकम के विषय में आयुक्त का प्रमाणपत्र उसका निश्चायक सबूत होगा।

(6) उपधारा (4) के उपबन्ध ऐसी रकम की दशा में लागू होंगे जिसे बीमाकर्ता उपधारा (3) के अधीन साबित करने का हकदार है, किन्तु अन्यथा वे उपबन्ध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि दिवालिए ने या परिसमापनाधीन कम्पनी ने बीमाकर्ताओं के साथ उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट संविदा कर ली है।

(7) यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां कि कम्पनी का परिसमापन केवल पुनर्गठन या किसी दूसरी कम्पनी से समामेलन के प्रयोजनों के लिए स्वेच्छया किया जाता है।

[2][**14क. प्रतिकर नियोजक द्वारा अन्तरित आस्तियों पर प्रथम भार होगा**—जहां कि नियोजक अपनी आस्तियों का अन्तरण किसी ऐसे प्रतिकर मद्धे शोध्य किसी रकम के संदाय से पूर्व कर देता है जिसके लिए दायित्व अन्तरण की तारीख से पूर्व प्रोद्भूत हो गया था वहां ऐसी रकम का इस प्रकार अन्तरित आस्तियों के उस भाग पर, जो सम्पत्ति स्थावर से मिलकर बना है, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रथम भार होगी।]

15. मास्टरों और नाविकों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध— यह अधिनियम उन कर्मकारों की दशा में, जो [3]*** पोतों के मास्टर या नाविक हैं, निम्नलिखित उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए, लागू होगा, अर्थात्—

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील वहां के सिवाय जहां कि क्षत व्यक्ति पोत का मास्टर है, पोत के मास्टर पर ऐसे की जाएगी, मानो वह नियोजक हो, किन्तु जहां कि पोत पर ही दुर्घटना हुई है और निःशक्तता प्रारम्भ हुई है वहां किसी नाविक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह दुर्घटना की कोई सूचना दे।

(2) मास्टर या नाविक की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रतिकर के लिए दावा दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् [4][एक वर्ष] के भीतर, या जहां कि पोत सब जनों के साथ नष्ट हो गया है या नष्ट हो गया समझा जाता है वहां

---

1. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 7 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 10 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित।
3. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 10 द्वारा "रजिस्ट्रीकृत" शब्द का लोप किया गया।
4. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 11 द्वारा (1-6-1959 से) "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) उस तारीख से जिस तारीख को राज्य सरकार का उक्त प्रमाणपत्र कार्यवाही प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति को दिया गया था, एक मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती।]

[1][**15क. वायुयानों के कैपटेनों और कर्मीदल के अन्य सदस्यों से संबंधित विशेष उपबंध**—यह अधिनियम उन कर्मकारों की दशा में, जो वायुयानों के कैप्टन या कर्मीदल के अन्य सदस्य हैं, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, अर्थात्:—

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील, यहां के सिवाय जहां क्षत व्यक्ति वायुयान का कैप्टन है, वायुयान के कैप्टन पर ऐसे की जाएगी, मानो वह नियोजक हो, किन्तु जहां वायुयान पर ही दुर्घटना हुई है और निःशक्तता प्रारम्भ हुई है वहां कर्मीदल के किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह दुर्घटना की कोई सूचना दे।

(2) कैप्टन या कर्मीदल के अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में, प्रतिकर के लिए दावा, दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, या जहां वायुयान समोजनों के साथ नष्ट हो गया है या नष्ट हुआ समझा जाता है। वहां उस तारीख से, जिस तारीख को वायुयान ऐसे नष्ट हुआ था या ऐसे नष्ट हुआ समझा जाता है, अठारह मास के भीतर किया जाएगाः

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा में उपबंधित सम्यक् समय के भीतर नहीं किया गया है, आयुक्त किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा इस प्रकार करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी।

(3) जहां वायुयान का क्षत कैप्टन या कर्मीदल का अन्य सदस्य भारत के किसी भाग में अथवा किसी अन्य देश में निर्मुक्त कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां उस भाग में के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उस विदेश में के किसी कौन्सलीय आफिसर द्वारा लिए गए और उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को पारेषित कोई भी अभिसाक्ष्य, दावा प्रवर्तित कराने की किन्हीं भी कार्यवाहियों में साक्ष्य में उस दशा में ग्राह्य होंगे जिसमें,—

(क) अभिसाक्ष्य उस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या कौन्सलीय आफिसर के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जाता है जिसके समक्ष वह दिया गया है;

(ख) यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल गया था;

(ग) यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही के दौरान दिया गया था तो, यह साबित हो जाने पर कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था,

और किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसाक्ष्य हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला था और यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया था तो यह कि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि उसे वह अवसर मिला था और ऐसा अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था।

15ख. कंपनियों और मोटरयानों के विदेश में के कर्मकारों से संबंधित विशेष उपबंध—यह अधिनियम,—

(i) उन कर्मकारों की दशा में, जो ऐसे व्यक्ति है जिन्हें भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा भर्ती किया गया है और उस रूप में, विदेश में कार्य कर रहे हैं, और

(ii) उन व्यक्तियों की दशा में जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों के साथ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या अन्य कर्मकारों के रूप में कार्य के लिए विदेश भेजे गए हैं;

निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, अर्थात्:—

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील, दुर्घटना के देश में, यथास्थिति, कम्पनी के स्थानीय अभिकर्ता या मोटरयान के स्वामी के स्थानीय अभिकर्ता पर की जा सकेगी।

(2) उस कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में, जिसकी बाबत इस धारा के उपबंध लागू होंगे, प्रतिकर के लिए दावा, दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर किया जाएगाः

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा में उपबंधित सम्यक् समय के भीतर नहीं किया गया है, आयुक्त किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा इस प्रकार करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी।

(3) जहां क्षत कर्मकार भारत के किसी भाग में अथवा किसी अन्य देश में निर्मुक्त कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां उस भाग में के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उस विदेश में के किसी कौन्सलीय आफिसर द्वारा लिए गए और उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते हैं केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को पारेषित कोई भी अभिसाक्ष्य दावा प्रवर्तित कराने की किन्हीं भी कार्यवाहियों में साक्ष्य में उस दशा में ग्राह्य होंगे जिसमें—

(क) अभिसाक्ष्य उस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या कौन्सलीय आफिसर के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जाता है जिसके समक्ष वह दिया गया है;

(ख) यदि, यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल गया था;

---

1. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 8 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।

(ग) यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही के दौरान दिया गया था तो, यह साबित हो जाने पर कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था,

और किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसाक्ष्य हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला था और यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया था तो यह कि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि उसे वह अवसर मिला था और ऐसा अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था।]

16. प्रतिकर के बारे में विवरणियां—[1][राज्य सरकार] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कर्मकारों को नियोजित करने वाला हर व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का कोई विनिर्दिष्ट वर्ग ऐसे समय और ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्राधिकारी को, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक शुद्ध विवरणी भेजेगा जिसमें उन क्षतियों की संख्या, जिनके लिए नियोजक द्वारा पूर्वतन वर्ष के दौरान प्रतिकर दे दिया गया है, और ऐसे प्रतिकर की रकम और प्रतिकर के बारे में ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, जैसी [1][राज्य सरकार] निर्दिष्ट करे।

17. संविदा द्वारा त्याग—इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व, चाहे पश्चात् की गई संविदा या करार, जिसके द्वारा कोई कर्मकार नियोजन से या उसके अनुक्रम में उद्भूत वैयक्तिक क्षति के लिए नियोजक से प्रतिकर पाने के किसी अधिकार का त्याग कर देता है वहां तक बातिल और शून्य होगा जहां तक वह इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व को हटाने या कम करने के लिए तात्पर्यित है।

18. [आयु का सबूत।] कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 8) की धारा 12 द्वारा (1-6-1959 से) निरसित।

[2][**18क. शास्तियां**—(1) जो कोई—

(क) वह सूचना-पुस्तक रखने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ख) आयुक्त को वह विवरण भेजने में असफल रहेगा जिसे भेजने के लिए वह धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ग) वह रिपोर्ट भेजने में असफल रहेगा जिसे भेजने के लिए वह धारा 10ख के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(घ) वह विवरणी देने में असफल रहेगा जिसे देने के लिए वह धारा 16 के अधीन अपेक्षित है,

वह जुर्माने से, जो [3][पांच हजार रुपए] तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन, आयुक्त के द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से संस्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि अपराध के लिए परिवाद [4][उस तारीख से छह मास के भीतर नहीं किया जाता जिस तारीख को अभिकथित अपराध का किया जाना, आयुक्त को ज्ञात हुआ था।]।

अध्याय 3
आयुक्त

19. आयुक्तों को निदेश—(1) यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय में कोई प्रश्न सके अन्तर्गत यह प्रश्न आता है कि क्षत व्यक्ति कर्मकार है या नहीं), या प्रतिकार की रकम या अस्तित्वावधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत निःशक्तता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अधिनियम के अधीन की किन्ही कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में [5][आयुक्त] द्वारा तय किया जाएगा।

(2) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यह अपेक्षित है कि वह आयुक्त द्वारा तय किया जाए या विनिश्चित किया जाए या उसके बारे में कार्रवाई आयुक्त द्वारा की जाए तय करने, विनिश्चित करने या उसके बारे में कार्रवाई करने की या इस अधिनियम के अधीन उपगत किसी दायित्व को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 11 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1959 के अधिनियम सं० 9 द्वारा (15-9-1995 से) "पांच सौ रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 6 द्वारा (1-2-1963 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 12 द्वारा "आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

20. आयुक्तों की नियुक्ति—(1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे [1]* * * क्षेत्र के लिए कर्मकार प्रतिकर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

[2][(2) जहां कि किसी [1]*** क्षेत्र के लिए एक से अधिक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वहां राज्य सरकार उनके बीच कारबार के वितरण का विनियमन साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगी।]

[3][(3)] कोई भी आयुक्त इस अधिनियम के अधीन विनिश्चय के लिए अपने को निर्देशित किसी विषय को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जो जांचाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हों, जांच करने में अपनी सहायता के लिए चुन सकेगा।

[3][(4)] हर आयुक्त भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा।

21. कार्यवाहियों का स्थान और अन्तरण—[4][(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई बात आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष की जानी है वहां इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उस क्षेत्र के आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष की जाएगी जिसमें—

(क) वह दुर्घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई; या

(ख) कर्मकार या उसकी मृत्यु की दशा में प्रतिकर के लिए दावा करने वाला आश्रित साधारणतया निवास करता है; या

(ग) नियोजक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है:

परन्तु किसी भी मामले में ऐसे किसी आयुक्त के समक्ष या उसके द्वारा, जो उस क्षेत्र पर जिसमें दुर्घटना हुई है, अधिकारिता रखने वाले आयुक्त से भिन्न है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से उसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त और संबंधित राज्य सरकार को सूचना दिए बिना, कार्यवाही नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां कर्मकार, किसी पोत का मास्टर या नाविक है अथवा किसी वायुयान का कैप्टन या कर्मीदल का कोई सदस्य है अथवा किसी मोटर यान या कंपनी का कर्मकार है, भारत से बाहर दुर्घटना का शिकार होता है वहां ऐसी कोई बात उस क्षेत्र के आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष की जा सकेगी, जिसमें, यथास्थिति, पोत, वायुयान या मोटर यान का स्वामी या अभिकर्ता निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

(1क) यदि उस आयुक्त से जिसके पास धारा 8 के अधीन कोई धन जमा किया गया है, भिन्न कोई आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करता है तो पश्चात्वर्ती आयुक्त ऐसे मामले के उचित निपटारे के लिए किसी अभिलेख के या पूर्ववर्ती आयुक्त के पास शेष रहे धन के अंतरण की मांग कर सकेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर वह आयुक्त उसका अनुपालन करेगा।]।

(2) यदि आयुक्त का [5][समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों से उद्भूत किसी विषय में] कार्रवाई किसी अन्य आयुक्त द्वारा चाहे वह उसी राज्य में हो या नहीं, अधिक सुविधानुसार की जा सकती है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए वह यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा विषय या तो रिपोर्ट के लिए या निपटाए जाने के लिए ऐसे अन्य आयुक्त को अन्तरित कर दिया जाए और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजें ऐसे अन्य आयुक्त को तत्क्षण परेषित करेगा, और जहां कि विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया जाता है वहां वह किसी ऐसे धन को भी विहित रीति से परेषित करेगा जो उसके पास शेष रहा है या जो उसने कार्यवाहियों में के किसी पक्षकार के फायदे के लिए विनिहित किया है:

[6][परन्तु जहां कि कार्यवाहियों में का कोई पक्षकार आयुक्त के समक्ष हाजिर हुआ है वहां आयुक्त आश्रितों के बीच किसी एकमुश्त राशि के वितरण से सम्बद्ध अन्तरण का कोई आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना, नहीं करेगा:]

[7]* * * *

(3) वह आयुक्त, जिसे कोई विषय इस प्रकार अन्तरित किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए उसकी जांच करेगा और यदि वह विषय रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया था तो उस पर अपनी रिपोर्ट देगा या यदि वह विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया गया था तो कार्यवाहियों को ऐसे चालू रखेगा मानो वे मूलतः उसके ही समक्ष प्रारम्भ हुई थीं।

(4) उस आयुक्त से जिसे कोई विषय उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया है रिपोर्ट मिलने पर वह आयुक्त, जिसके द्वारा वह निर्देशित किया गया था, निर्देशित विषय को ऐसी रिपोर्ट के अनुरूप विनिश्चय करेगा।

[8][(5) राज्य सरकार किसी भी मामले को अपने द्वारा नियुक्त किसी आयुक्त से अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य आयुक्त को अन्तरित कर सकेगी।]

---

1. 1962 के अधिनियम सं॰ 64 की धारा 7 द्वारा (1-2-1963 से) "स्थानीय" शब्द का लोप किया गया।
2. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) और (3) उस धारा की उपधारा (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित।
4. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 10 द्वारा (15-9-1995 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 9 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित।
7. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 10 द्वारा (15-9-1995 से) दूसरे परन्तुक का लोप किया गया।
8. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

22. आवेदन का प्ररूप—[1][(1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व उद्‌भूत होता है वहां ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयुक्त के समक्ष किया जा सकेगा।

(1क) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी विषय के आयुक्त द्वारा तय किए जाने के लिए कोई भी आवेदन] [2][जो आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न हों] न किया जाएगा यदि और जब तक उसके संबंध में पक्षकारों के बीच ऐसा कोई प्रश्न न उठा हो जिसे वे करार द्वारा तय करने में असमर्थ रहे हों।

(2) [3][आयुक्त को आवेदन] ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, किया जा सकेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यदि कोई हो, जैसी विहित की जाए, और उसमें किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के अतिरिक्त, जैसी विहित की जाएं, निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्‌—

(क) उन परिस्थितियों का संक्षिप्त कथन जिनमें आवेदन किया गया है और वह अनुतोष या आदेश, जिसका आवेदक दावा करता है;

(ख) नियोजक के विरुद्ध प्रतिकर के लिए दावे की दशा में वह तारीख जिसकी दुर्घटना की सूचना की नियोजक पर तामील हुई थी, और, यदि ऐसी सूचना की तामील नहीं हुई या सम्यक्‌ समय में नहीं हुई तो ऐसे लोप का कारण;

(ग) पक्षकारों के नाम और पते; तथा

(घ) [2][आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन की दशा के सिवाय]उन मामलों का, जिनके बारे में करार हो चुका है और उन मामलों [4][का] जिनके बारे में करार नहीं हुआ है, संक्षिप्त कथन।

(3) यदि आवेदक निरक्षर है या किसी अन्य कारण से अपेक्षित जानकारी लिखित रूप में देने में असमर्थ है तो, यदि आवेदक ऐसा करना चाहे तो, आवेदन आयुक्त के निदेशाधीन तैयार किया जाएगा।

[5][**22क. प्राणान्तक दुर्घटना की दशाओं में अतिरिक्त निक्षेप अपेक्षित करने की आयुक्त की शक्ति**—(1) जहां कि ऐसे कर्मकार के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, संदेय प्रतिकर के रूप में कोई राशि नियोजक द्वारा निक्षिप्त की गई है और आयुक्त की राय में ऐसी राशि अपर्याप्त है वहां आयुक्त अपने कारणों को कथित करते हुए लिखित सूचना द्वारा नियोजक को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा कि वह इतने समय के भीतर, जितना सूचना में कथित किया जाए, अतिरिक्त निक्षेप क्यों न करे।

(2) यदि नियोजक आयुक्त को समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है तो आयुक्त कुल संदेय रकम को अवधारित करने वाला और नियोजक से यह अपेक्षा करने वाला अधिनिर्णय दे सकेगा कि वह उतनी राशि निक्षिप्त कर दे जितनी कम है।]

23. आयुक्तों की शक्तियां और प्रक्रिया—आयुक्त को, ऐसी शपथ पर (जिसे अधिरोपित करने के लिए आयुक्त एतद्‌द्वारा सशक्त किया जाता है) साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन की सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी [6][और आयुक्त [7][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 के और अध्याय 26] के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।]

[8][**24. पक्षकारों की हाजिरी**—किसी पक्षकार की साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हाजिरी से भिन्न कोई हाजिरी, आवेदन या कार्य जो किसी व्यक्ति द्वारा आयुक्त के समक्ष या आयुक्त से किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी विधि व्यवसायी द्वारा या बीमा कम्पनी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदधारी द्वारा, या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन या खान अधिनियम, 1952, (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य आफिसर द्वारा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, या आयुक्त की अनुज्ञा से, इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किया जा सकेगा।][9]

---

1. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 11 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 15 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 15 द्वारा "जहां ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो वहां आवेदन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1925 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।
7. 1995 के अधिनियम सं 30 की धारा 12 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 14 द्वारा (1-6-1959 से) धारा 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1942 के बंगाल अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा नई धारा 24क और 24ख को इस अधिनियम को बंगाल में लागू करने के लिए अन्तःस्थापित किया गया।

25. साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग— जैसे-जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे-वैसे आयुक्त उस साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन आयुक्त द्वारा अपने हाथ से लिखा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगाः

परन्तु यदि आयुक्त ऐसा ज्ञापन बनाने से निवारित हो जाता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करेगा और स्वयं बोल कर ऐसा ज्ञापन लिखित रूप में तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगाः

परन्तु यह और कि किसी चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यावत्शक्य शब्दशः लिखा जाएगा।

26. खर्चे—आयुक्त के समक्ष की कार्यवाहियों के आनुषंगिक सभी खर्चे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए आयुक्त के विवेकाधीन होंगे।

27. मामलों को निवेदित करने की शक्ति—यदि आयुक्त उचित समझे तो वह विधि का प्रश्न विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह उस प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुरूप विनिश्चित करेगा।

28. करारों का रजिस्ट्रीकरण—(1) जहां कि प्रतिकर के रूप में संदेय कोई एकमुश्त राशि की रकम, करार द्वारा, चाहे अर्धमासिक संदायों से मोचन के तौर पर या अन्यथा, तय हो गई है या जहां कि कोई प्रतिकर इसी प्रकार तय हो गयी है कि वह [1][किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन किसी व्यक्ति को] [2]*** संदेय है, वहां उसका एक ज्ञापन नियोजक द्वारा आयुक्त को भेजा जाएगा, जो उसके असली होने के विषय में अपना समाधान हो जाने पर ज्ञापन को रजिस्टर में विहित रूप में अभिलिखित करेगाः

परन्तु—

(क) ऐसा कोई ज्ञापन आयुक्त द्वारा संबंद्ध पक्षकारों को सूचना के संसूचित किए जाने के पश्चात् सात दिन से पहले अभिलिखित नहीं किया जाएगा;

[3]* * * *

(ग) आयुक्त किसी भी समय रजिस्टर को परिशुद्ध कर सकेगा;

(घ) जहां कि आयुक्त को प्रतीत हो कि किसी एकमुश्त राशि के संदाय के बारे में कोई करार, वह चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर हो या अन्यथा हो, या [1][किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन किसी व्यक्ति को] [4]***संदेय प्रतिकर की रकम के बारे में कोई करार, राशि या रकम की अपर्याप्तता के कारण या कपट या असम्यक् असर या अन्य अनुचित साधनों द्वारा उस करार के अभिप्राप्त किए जाने के कारण रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए वहां वह करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार कर सकेगा [5][और ऐसा आदेश जिसके अन्तर्गत करार के अधीन पहले दी गई किसी राशि के बारे में कोई आदेश आता है, कर सकेगा] जैसा वह परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

(2) प्रतिकर के संदाय के लिए जो करार उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है, वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रवर्तनीय होगा।

29. करार को रजिस्ट्रीकृत कराने में असफल रहने का प्रभाव— जहां कि ऐसे किसी करार का ज्ञापन, जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 28 द्वारा अपेक्षित है, उस धारा की अपेक्षानुसार आयुक्त को नहीं भेजा गया है वहां, नियोजक उस प्रतिकर की कुल रकम देने का दायी होगा जिसे वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देने का दायी है और, जब तक कि आयुक्त अन्यथा निर्दिष्ट न करे, वह किसी रकम की, जो प्रतिकर के तौर पर, चाहे उस करार के अधीन या अन्यथा, कर्मकार को दी गई है, आधी से अधिक रकम काट लेने के लिए, धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी हकदार नहीं होगा।

---

1. 1929 के अधिनियम सं॰ 5 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1924 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "या आश्रित को" शब्दों का लोप किया गया।
3. 1929 के अधिनियम सं॰ 5 की धारा 6 द्वारा खण्ड (ख) का लोप किया गया।
4. 1924 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "या किसी आश्रित को" शब्दों का लोप किया गया।
5. 1924 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "या ऐसा आदेश कर सकेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

30. अपीलें—(1) आयुक्त के निम्नलिखित आदेशों से अपील उच्च न्यायालय में होगी, अर्थात्:—

(क) प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि को चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, अधिनिर्णीत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अननुज्ञात करने वाला आदेश;

[1][(कक) धारा 4क के अधीन ब्याज या शास्ति अधिनिर्णीत करने वाला आदेश;]

(ख) अर्धमासिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इन्कार करने वाला आदेश;

(ग) मृत कर्मकार के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबन्ध करने वाला आदेश या किसी ऐसे व्यक्ति के दावे को जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आश्रित है, अनुज्ञात करने वाला आदेश;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को अनुज्ञात या अननुज्ञात करने वाला आदेश; अथवा

(ङ) करार के ज्ञापन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार करने वाला या उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबन्ध करने वाला कि उसका रजिस्ट्रीकरण शर्तों के अधीन होगा, आदेशः

परन्तु जब तक कि अपील में सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्वलित न हो, और खण्ड (ख) में यथानिर्दिष्ट आदेश से भिन्न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम तीन सौ रुपए से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगीः

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें पक्षकारों ने आयुक्त के विनिश्चय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमें आयुक्त का आदेश पक्षकारों में हुए करार को प्रभावशाली करता है, कोई भी अपील नहीं होगीः

[2][परन्तु यह और कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा दिया गया इस भाव का प्रमाणपत्र न हो कि अपीलार्थी ने उसके पास वह रकम निक्षिप्त कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेय है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खण्ड (क) के अधीन कोई भी अपील नहीं होगी।]

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमाकाल साठ दिन का होगा।

(3) [3][परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)] की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन की अपीलों को लागू होंगे।

[4][**30क. अपील का विनिश्चय होने तक कतिपय संदायों का विधारण**—जहां कि नियोजक द्वारा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपील करता है वहां आयुक्त अपने पास निक्षिप्त किसी भी राशि का संदाय, अपील का विनिश्चय होने तक, विधारित रख सकेगा और, यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया हो तो, विधारित रखेगा।]

31. वसूली—आयुक्त किसी ऐसी रकम को, जो प्रतिकर के संदाय के किसी करार के अधीन या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय हो, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा और आयुक्त राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1)[5] की धारा 5 के अर्थ के अन्दर लोक अधिकारी समझा जाएगा।

---

1. 1959 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 15 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित।
2. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 17 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 13 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 18 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. बंगाल टाउट्स ऐक्ट, 1942 (1942 के बंगाल अधि॰ 5) की धारा 18 द्वारा नई धारा 31क को इस अधिनियम को बंगाल में लागू करने के लिए अंतःस्थापित किया गया।

अध्याय 4
नियम

32. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) [1][राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम[2] बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) उन अन्तरालों और शर्तों को विहित करना जिन पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा सकेगा, यदि उसके साथ चिकित्सीय-प्रमाणपत्र न हो;

(ख) उन अन्तरालों और शर्तों को विहित करना, जिन पर कोई कर्मकार चिकित्सीय परीक्षा कराने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किया जा सकेगा;

(ग) वह प्रक्रिया विहित करना जिसका अनुसरण इस अधिनियम के अधीन मामलों को निपटाने में आयुक्त द्वारा और ऐसे मामलों में पक्षकारों द्वारा किया जाना है;

(घ) एक आयुक्त से दूसरे को विषयों और मामलों के अन्तरण को और ऐसे मामलों में धन के अन्तरण को विनियमित करना;

(ङ) वह रीति विहित करना, जिसमें आयुक्त के पास के धन को किसी मृत कर्मकार के आश्रितों के फायदे के लिए विनिहित किया जा सकेगा, और इस प्रकार विनिहित धन एक आयुक्त से किसी अन्य आयुक्त को अन्तरित करना;

(च) आयुक्तों के समक्ष की कार्यवाहियों में ऐसे पक्षकारों का प्रतिनिधित्व जो अप्राप्तवय है या हाजिर होने में असमर्थ है;[3]

(छ) वह प्ररूप और रीति विहित करना जिसमें करारों के ज्ञापन उपस्थित किए जाएंगे और रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे;

(ज) अर्धमासिक संदायों के पुनर्विलोकन के आवेदनों पर विनिश्चय होने तक उन संदायों का आयुक्त द्वारा पूर्णतः या भागतः विधारित रखा जाना, [4]* * *

[4]* * * * * *

[4][(झ) इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में जो खर्च अनुज्ञात किए जा सकेंगे उनके मापमान विनियमित करना;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के समक्ष की कार्यवाहियों के संबंध में देय फीसों की रकम विहित और अवधारित करना;

(ट) आयुक्तों द्वारा अपने समक्ष की कार्यवाहियों के रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना;

(ठ) उन नियोजकों के वर्ग जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन सूचना-पुस्तकें रखेंगे और ऐसी सूचना-पुस्तकों के प्ररूप विहित करना;

(ड) नियोजकों द्वारा धारा 10-क के अधीन निवेदित किए जाने वाले विवरण का प्ररूप विहित करना; [5]* * *

(ढ) उन मामलों को विहित करना, जिनमें धारा 10ख में निर्दिष्ट रिपोर्ट आयुक्त से भिन्न प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी;]

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "परिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924 के लिए देखिए, भारत का राजपत्र, 1924, भाग 1, पृष्ठ 586।
3. 1942 के बंगाल अधिनियम सं॰ 6 की धारा 5 द्वारा नए खण्ड (चच), (चच1) और (चच2) को इस अधिनियम को बंगाल में लागू करने के लिए अंतःस्थापित किया गया।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (ज) के अन्त में "और" शब्द तथा मूल खण्ड (झ) का लोप किया गया तथा धारा 33 के खण्ड (क) से (च) तक को खण्ड (झ) से (ढ) के रूप में पुनःअक्षरांकित और अंतःस्थापित किया गया।
5. 1960 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया।

[1][(ण) इस अधिनियम की संक्षिप्तियां विहित करना और ऐसी संक्षिप्तियों को अन्तर्विष्ट करने वाली सूचनाएं संप्रदर्शित करने की नियोजकों से अपेक्षा करना;

(त) वह रीति विहित करना जिसमें उपजीविकाजन्य रोगों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए रोगों का निदान किया जा सकेगा;

(थ) वह रीति विहित करना जिसमें रोगों को इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रमाणित किया जा सकेगा;

(द) वह रीति विहित करना जिसमें और वे मानक जिनके अनुसार असामर्थ्य का निर्धारण किया जा सकेगा।]

[2][(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।] ।

33. [स्थानीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित।]

34. नियमों का प्रकाशन—(1) [3][धारा 32] द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के खण्ड (3) के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली वह तारीख, जिसके पश्चात् उन नियमों के प्रारूप पर विचार किया जाएगा जो धारा 32[4] *** के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्थापित हों, उस तारीख से तीन मास से कम की न होगी जिसको प्रस्थापित विनियमों का प्रारूप सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था।

(3) इस प्रकार बनाए गए नियम [5]*** [6]*** शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर ऐसा प्रभाव रखेंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हों।

[7][**35. प्रतिकर के रूप में दिए गए धन के अन्तरण के लिए अन्य देशों के साथ किए गए ठहरावों को क्रियान्वित करने के लिए नियम**—[8][(1)] केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के [9][पास निक्षिप्त] ऐसे धन को, [10][जो ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत हुआ हो या शोध्य हो] जो [11]*** [12][किसी विदेश में] निवास करता है या करने जा रहा है, [13][ऐसे विदेश में] अन्तरित को क्रियान्वित करने के लिए नियम अंतरित करने के लिए, और कर्मकारों के प्रतिकर से सम्बन्धित विधि के अधीन [14]*** [15]*** [16]*** [16][निक्षिप्त] किसी ऐसे धन की, [17][जो किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत हुआ हो, या शोध्य हो] जो [18][किसी राज्य] में निवास करता है या करने जा रहा है, [18][किसी राज्य] में प्राप्ति [19][वितरण] और प्रशासन के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी]:]

[19][परन्तु प्राणान्तक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन निक्षिप्त कोई भी राशि, संपृक्त नियोजक की सम्मति के बिना, तब तक ऐसे अन्तरित न की जाएगी जब तक राशि प्राप्त करने वाले आयुक्त ने धारा 8 की उपधाराओं (4) और (5) के उपबन्धों के अधीन उसके वितरण और प्रभाजन को अवधारित करने वाला आदेश पारित न कर दिया हो।

---

1. 1959 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 16 द्वारा (1-6-1959 से) अंतःस्थापित।
2. 1986 के अधिनियम सं॰ 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986) से अंतःस्थापित।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "धारा 32 और धारा 33" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या धारा 33" शब्दों और अंकों का निरसन किया गया।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "यथास्थिति" शब्द का निरसन किया गया।
6. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत का राजपत्र या" शब्दों को निरसित किया गया।
7. 1933 के अधिनियम सं॰ 15 की धारा 20 द्वारा अन्तःस्थापित।
8. 1937 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 द्वारा धारा 35 को इस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
9. 1937 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 द्वारा "संदत्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. 1937 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 द्वारा "के फायदे के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा अंतःस्थापित "किसी भाग ख राज्य को या" शब्द और अक्षरों का 1951 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
12. 1984 के अधिनियम सं॰ 22 की धारा 5 द्वारा (1-7-1984 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
13. 1984 के अधिनियम सं॰ 22 की धारा 5 द्वारा (1-7-1984 से) "ऐसे भाग या देश में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. विधि अनुकूलन, आदेश, 1950 द्वारा "किसी भाग ख राज्य में या" अंतःस्थापित शब्दों में से "किसी भाग ख राज्य में" शब्दों और अक्षरों का 1951 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा और "या" शब्द का 1957 के अधिनियम 36 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
15. 1984 के अधिनियम सं॰ 22 की धारा 5 द्वारा (1-7-1984 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
16. 1937 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 द्वारा "अधिनिर्णीत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
17. 1937 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 द्वारा "जो किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए उपयोज्य है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
18. 1951 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 3 द्वारा अनुसूची द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
19. 1937 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

क्रम संख्यांक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
[1][3]	अंसकूट के सिरे से [2][20.32 से०मी०] से कूर्पर के सिरे के नीचे [2][11.43 से०मी०] से कम तक विच्छेदन	70
[1][4]	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों की हानि, या कूर्पर के सिरे से [1][11.43 से०मी०] से नीचे विच्छेदन.	60
[1][5]	अंगूठे की हानि	30
[1][6]	अंगूठे की और उसकी करभ-अस्थि की हानि	40
[1][7]	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि	50
[1][8]	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि	30
[1][9]	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि	20
[1][10]	अंगूठे की अन्तिम अंगुलि-अस्थि की हानि.	20
[3][10क]	अस्थि की हानि के बिना अंगूठे के सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	10
	विच्छेदन के मामले—अध:शाखा	
[11]	दोनों पादों का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	90
[12]	प्रपदानगुलि-अस्थि संधि से दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	80
[1][13]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि.	40
[1][14]	निकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	30
[1][15]	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	20
[1][16]	नितम्ब पर विच्छेदन.	90
[1][17]	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक बृहत् उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर [2][12.70 से०मी०] से अधिक लम्बा न हो	80
[1][18]	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक वृहत उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर [2][8.89 से०मी०] से अधिक लम्बा हो, किन्तु मध्योरु से आगे न हो	70
[1][19]	मध्योरु के नीचे से घुटने के [2][8.89 से०मी०] नीचे तक विच्छेदन	60
[1][20]	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक [2][8.89 से०मी०] से अधिक हो, किन्तु 5″ से अधिक न हो	50
[21]	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक [2][12.70 से०मी०] से अधिक हो	[2][50]
[1][22]	एक पाद का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग-मात्र रह जाए.	[2][50]
[1][23]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से एक पाद का विच्छेदन	[2][50]
[1][24]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से एक पद की सब अंगुलियों की हानि	20
	अन्य क्षतियां	
[1][25]	एक नेत्र की हानि, जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	40
[1][26]	एक नेत्र की दृष्टि की हानि, जब कि नेत्रगोलक में उपद्रव या विद्रूपता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो.	30
[3][26क.]	एक नेत्र की आंशिक दृष्टि की हानि	10]

1. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 9 द्वारा (1-2-1963 से) प्रविष्टि सं० 7 से 54 तक को क्रमशः 1 से 48 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
2. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।

क्रम संख्यांक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
निम्नलिखित की हानि—		
	क—दाएं या बाएं हाथ की अंगुलियां	
	तर्जनी	
[1][27]	सम्पूर्ण	14
[1][28]	दो अंगूलि-अस्थियां	11
[1][29]	एक अंगुलि-अस्थि	9
[1][30]	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	5
	मध्यमा	
[1][31]	सम्पूर्ण	12
[1][32]	दो अंगुली-अस्थियां	9
[1][33]	एक अंगुलि-अस्थि	7
[1][34]	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	4
	अनामिका या कनिष्ठिका	
[1][35]	सम्पूर्ण	7
[1][36]	दो अंगुली-अस्थियां	6
[1][37]	एक अंगुलि-अस्थि	5
[1][38]	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	2
	ख—दाएं या बाएं पाद की अंगुलियां	
	अंगूठा	
[1][39]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से	14
[1][40]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3
	कोई अन्य अंगुली	
[1][41]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से	3
[1][42]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	1
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की दो अंगुलियां	
[1][43]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से	5
[1][44]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	2
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की तीन अंगुलियां	
[1][45]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से	6
[1][46]	उनका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की चार अंगुलियां	
[1][47]	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से	9
[1][48]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3]

[2][टिप्पण—इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अंग या अवयव के उपयोग की पूर्ण तथा स्थायी हानि उस अंग या अवयव की हानि के समतुल्य समझी जाएगी।]

1. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 9 द्वारा (1-2-1963 से) प्रविष्टि सं० 7 से 54 तक को क्रमशः 1 से 48 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
2. 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अंतःस्थापित।

अनुसूची 2

[धारा 2(1) (ढ) देखिए]

उन व्यक्तियों की सूची, जो कर्मकार की परिभाषा के अन्तर्गत धारा 2(1)(ढ) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आते हैं

निम्नलिखित व्यक्ति, धारा (2)(1)(ढ) के अर्थ के अन्दर और उस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कर्मकार हैं, अर्थात् कोई व्यक्ति जो—

[1][[2][(i) लिपिकीय हैसियत में या रेल में नियोजित होने से अन्यथा किसी लिफ्ट या वाप या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा नोदित यान को चलाने [3][उसकी मरम्मत करने] या उसके अनुरक्षण के संबंध में या ऐसे किसी यान पर लदाई या उस पर से उतराई के संबंध में नियोजित है; अथवा

(ii) उस परिसर में जिसमें या जिसकी प्रसीमाओं के अन्दर कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण-प्रक्रिया चलाई जा रही है, या ऐसे किसी भी प्रकार के ऐसे काम में, जो ऐसी किसी विनिर्माण-प्रक्रिया या निर्मित वस्तु का आनुषंगिक या उससे संबद्ध है और जिसमें वाष्प, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत् शक्ति प्रयुक्त होती है, लिपिकीय हैसियत में नियोजित होने से अन्यथा नियोजित है [4][चाहे ऐसे किसी काम में नियोजन ऐसे परसिर में या प्रसीमाओं के अन्दर हो या न हो]; अथवा

(iii) वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिरूपण के प्रयोजन के लिए, अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे परिसर में नियोजित है जिसमें या जिसकी प्रसीमाओं के अन्दर बीस या अधिक व्यक्ति ऐसे नियोजित हैं; [5]***

[4][**स्पष्टीकरण**— ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के बाहर, किन्तु ऐसे किसी कार्य में, जो किसी वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण या परिरूपण से, अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने से संबंधित किसी कार्य का आनुषंगिक या उससे संबंधित है, नियोजित व्यति इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के अंदर नियोजित समझे जाएंगे; अथवा]

(iv) नियोजक के व्यवसाय या कारबार के संबंध में विस्फोटकों के विनिर्माण या हथालने में नियोजित हैं; अथवा

(v) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित किसी खान में किसी खनन संक्रिया में अथवा किसी खनन संक्रिया के या अभिप्राप्त खनिज के आनुषंगिक या उससे संसक्त किसी प्रकार के काम में, जो लिपिकीय काम से भिन्न हो, या भूमि के नीचे किसी भी प्रकार के काम में नियोजित है; अथवा

(vi) (क) पूर्णतः या भागतः वाष्प द्वारा या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत् द्वारा नोदित पोत के, या ऐसे पोत के, जो इस प्रकार नोदित पोत द्वारा अनुकर्षित किया जाता है, या जिसका ऐसे अनुकर्षित किया जाना आशयित है, अथवा

(ख) शुद्ध पच्चीस या उससे अधिक टनधारिता वाले किसी ऐसे पोत के, जो उपखंड (क) के अन्तर्गत नहीं आता है, अथवा

(ग) उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी ऐसे समुद्रगामी पोत के, जिसके लिए केवल पालों द्वारा नौचालन के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपबन्धित है,

मास्टर या नाविक के रूप में नियोजित है; अथवा

(vii) (क) किसी ऐसे पोत पर, जिसका वह मास्टर या कर्मीदल का सदस्य नहीं है, लदाई, उससे उतराई, उसमें ईंधन डालने, उसका सन्निर्माण करने, उसकी मरम्मत करने, उसे तोड़ डालने, साफ करने या उसका रंग-रोगन करने के प्रयोजन के लिए, या जो माल किसी जलयान से उतारा गया है, या किसी जलयान में लादा जाना है, उस माल को, [6]पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) या महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अध्यधीन रहते हुए, किसी पत्तन की सीमाओं के अन्दर हथालने या उसका परिवहन करने के प्रयोजन के लिए, अथवा

---

1. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 21 द्वारा खण्ड (i) से (xiii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 18 द्वारा (1-6-1959 से) खण्ड (i) से (ix) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) अन्तःस्थापित।
4. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 10 द्वारा (1-3-1963 से) अन्तःस्थापित।
5. 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 10 द्वारा (1-2-1963 से) "या" शब्द का लोप किया गया
6. 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][(xix) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपान्तरण, पारेषण या वितरण में अथवा गैस के उत्पादन या प्रदाय में, लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में, नियोजित है; अथवा]

(xx) भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 2 के खण्ड (ध) में यथापरिभाषित दीपस्तंभ में नियोजित है; अथवा

(xxi) लोक-प्रदर्शन के लिए आशयित चलचित्रों के निर्माण में, या ऐसे चित्रों को प्रदर्शित करने में नियोजित है; अथवा

(xxii) हाथियों या जंगली जीव-जन्तुओं के प्रशिक्षण, पालने या उनसे काम लेने में, नियोजित है; अथवा

[2][(xxiii) ताड़ के पेड़ों से रस निकालने या वृक्षों को गिराने या उनसे लट्ठे बनाने में या अन्तर्देशीय जल द्वारा काष्ठ के परिवहन में, या दावानल के नियंत्रण या बुझाने में नियोजित हैं; अथवा

(xxiv) हाथियों या अन्य जंगली जीव-जन्तुओं को पकड़ने या उनका शिकार करने की संक्रियाओं में नियोजित है; अथवा]

[3][(xxv)] गोताखोर के रूप से नियोजित है; [1][अथवा

(xxvi) (क) किसी ऐसे भाण्डागार या अन्य स्थान की, जिसमें माल भंडारित किया जाता है और जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी एक दिन दस या अधिक व्यक्ति इस प्रकार नियोजित रहे हैं, अथवा

(ख) किसी ऐसे बाजार की, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन [4][पचास] या अधिक व्यक्ति इस प्रकार नियोजित रहे हैं, प्रसीमाओं में, या के अन्दर माल हथालने या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxvii) किसी ऐसे उपजीविका में, जिसमें रेडियम या एक्स-रे साधित्र को हथालना या उसका अभिचालन या रेडियो ऐक्टिव पदार्थों का संस्पर्श अन्तर्वलित है, नियोजित है;] [5][अथवा

[5](xxviii) भारतीय वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 2 में यथापरिभाषित वायुयान के सन्निर्माण, बनाने, खोल डालने, चालन या अनुरक्षण में या उसके संबंध में नियोजित है; अथवा

(xxix) ट्रेक्टरों या अन्य यंत्रों द्वारा, जो वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा या विद्युत द्वारा चलते हैं, [1][उद्यान-कृषि संक्रियाओं, वनोद्योग, मधुमक्खी पालन या खेती करने में नियोजित हैं]; अथवा

(xxx) नलकूप के निर्माण, चालन, मरम्मत या अनुरक्षण में, लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में, नियोजित है; अथवा

(xxxi) किसी भवन में विद्युत फिटिंग के अनुरक्षण, मरम्मत या नवीकरण में नियोजित है; अथवा

(xxxii) सरकस में नियोजित है।]

6[(xxxiii) किसी कारखाने या स्थापन में चौकीदार के रूप में नियोजित है; अथवा

(xxxiv) समुद्र में मछली पकड़ने की किसी संक्रिया में नियोजित है; अथवा

(xxxv) किसी ऐसे रोजगार में नियोजित है जिसमें विष निकालने के प्रयोजन के लिए या सांपों की देखभाल करने के प्रयोजन के लिए सांपों को हथालने अथवा किसी विषैले जीव-जन्तु या कीट को हथालने की अपेक्षा की जाती है; अथवा

(xxxvi) घोड़ों, खच्चरों और सांड जैसे जीव-जन्तुओं के हथालने संबंधी काम में नियोजित है; अथवा

(xxxvii) किसी यंत्रनोदित यान में लदाई या उससे उतराई के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे माल की, जिसकी ऐसे यानों में लदाई की गई है, उठाई-धराई करने में या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxxviii) किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर मल नालियों या सेप्टिक टैंकों की सफाई में नियोजित है; अथवा

(xxxix) सर्वेक्षण और अन्वेषण, खोज अथवा नदियों के मापन या निस्सारण प्रेक्षण में नियोजित है, जिसके अंतर्गत संवर्धन संक्रियाएं, जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलाप भूगर्भ-जल सर्वेक्षण और खोज हैं;

(xl) ऐसे जंगलों के साफ करने में अथवा भूमि या तालाबों के ठीक करने में नियोजित है, जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी एक दिन पच्चीस से अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हैं;

(xli) ऐसी भूमि पर खेती करने में या पशु धन के पालन-पोषण तथा अनुरक्षण या वन संक्रियाओं या मछली पकड़ने में नियोजित है, जिसमें पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी दिन पच्चीस से अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हैं;

(xlii) कूपों, नलकूपों, तालाबों, झीलों, जल धाराओं तथा वैसे ही स्रोतों से जल उत्थापन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पंपिंग उपस्कर के संस्थापन, अनुरक्षण या मरम्मत में नियोजित हैं;

(xliii) किसी खुले कूप या खोदे गए कूप, बोर कूप, बोर तथा खोदे गए बूथ फिल्टर पाइंट और वैसे ही बोरिंग संनिर्माण, या उन्हें गहरा करने में नियोजित हैं;

(xliv) कृषि संक्रियाओं या बागानों में कीटनाशी या नाशक जीव मार के फुहारन करने और उसके धूल झाड़न में नियोजित हैं;

(xlv) यांत्रिक फसल कटाई और गहाई संक्रियाओं में नियोजित हैं;

(xlvi) बुलडोजरों, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों तथा वैसी ही मशीनों के चालन या मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित हैं;

---

1. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) मद-(xix) और "खेती करने में नियोजित है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 11 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1938 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 11 द्वारा मूल खण्ड (xxiii) को (xxv) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
4. 1959 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 18 द्वारा (1-6-1959 से) "एक सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1959 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 18 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित।
6. 1995 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) अन्तःस्थापित।

(xlvii) भूमि तल से 3.66 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर विज्ञापन बोर्डों पर चित्र बनाने के लिए कलाकार के रूप में नियोजित हैं;

(xlviii) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) में परिभाषित किसी समाचार पत्र स्थापन में नियोजित हैं और बाह्य कार्य में लगे हैं;]।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची में "पूर्ववर्ती बारह मास" का सम्बन्ध किसी विशिष्ट मामले में उन बारह मासों से है जो उस दिन समाप्त होते हैं जिसको ऐसे मामले में दुर्घटना हुई थी।]

[1][अनुसूची 3]

(धारा 3 देखिए)

उपजीविकाजन्य रोगों की सूची

क्र॰सं॰	उपजीविकाजन्य रोग	नियोजन
(1)	(2)	(3)
	भाग क	
1.	संक्रामक और परजीवी रोग, जो उस उपजीविका से हुआ हो जहां संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो।	(क) सभी कार्य जो स्वास्थ्य या प्रयोगशाला कार्य के लिए उच्छन्न करते हों;
		(ख) सभी कार्य जो पशु-चिकित्सा कार्य के लिए उच्छन्न करते हों।
		(ग) जीव-जन्तुओं, जीव-जन्तु शवों, ऐसे शवों के भागों या व्यापारिक माल के; जो जीव-जन्तुओं या जीव-जन्तु शवों द्वारा संदूषित हो गया हो, हथालने से संबंधित कार्य;
		(घ) अन्य कार्य जिसमें संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो।
2.	संपीड़ित वायु में कार्य द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
3.	सीसा या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
4.	नाइट्रस धूमों द्वारा विषाक्तता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
5.	कार्बनिक फास्फोरस सम्मिश्रणों द्वारा विषाक्तता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
	भाग ख	
1.	फास्फोरस या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
2.	पारद या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
3.	बैंनजीन या उसके विषैले समजातों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
4.	नाइट्रो और बैंनजीन के एमिडो विषैले व्युत्पन्नों या उसके समजातों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
5.	क्रोमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
6.	संखिया या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
7.	रेडियो एक्टिव पदार्थों और आयनकारी विकिरणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो रेडियोएक्टिव पदार्थों या आयतकारी विकिरणों के लिए उच्छन्न करते हों।

1. 1984 के अधिनियम सं॰ 22 की धारा 6 द्वारा (1-7-1984 से) अनुसूची 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

क्र॰सं॰	उपजीविकाजन्य रोग	नियोजन
(1)	(2)	(3)
8.	तारकोल, डामर, विटूमेन, खनिज तेल, एन्थ्रसीन या इन पदार्थों के सम्मिश्रणों; उत्पादों या अवशेषों द्वारा कारित त्वचा का प्राथमिक उपकला-वुंदयुक्त कैंसर।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
9.	(ऐलिफैटिक एनडेरोमेटिक आवलियों के) हाइड्रोकार्बनों के विषैले हैलोजेन व्युत्पन्नों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
10.	कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
11.	अवरक्त विकिरणों से उत्पन्न उपजीविका जन्य मोतियाबिन्द।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
12.	मैंगनीज या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
13.	शारीरिक, रासायनिक या जैविक कारकों द्वारा, जो अन्य मदों में सम्मिलित नहीं हैं; कारित त्वचा रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
14.	शोर द्वारा कारित श्रवण हानि।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
15.	प्रतिस्थापी डाइनाट्रोफीनॉल या ऐसे पदार्थों के लवणों द्वारा विषाक्तता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
16.	बेरिलियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
17.	कैडमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
18.	कार्य प्रक्रिया में अन्तर्निष्ठ मान्यताप्राप्त सुग्राही कारकों द्वारा कारित उपजीविका-जन्यदमा।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
19.	फ्लुओरीन या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
20.	नाइट्रोग्लिसरीन या अन्य नाइट्रोएसिड ऐस्टरों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
21.	एलकोहॉलों और कीटोनों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
22.	श्वासरोध, कार्बनमोनोक्साइड और उसके विषैले व्युत्पन्नों, हाईड्रोजन सल्फाइड द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
23.	एस्बैस्टॉस द्वारा कारित फेफड़ा कैंसर और मीजिथीलिओमा।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।

कर्मकार को प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती उसके अन्तिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या	गुणक
(1)	(2)
24	218.47
25	216.91
26	215.28
27	213.57
इससे अधिक नहीं 28	211.79
29	209.92
30	207.98
31	205.95
32	203.85
33	201.66
34	199.40
35	197.06
36	194.64
37	192.14
38	189.56
39	186.90
40	184.17
41	181.37
42	178.49
43	175.54
44	172.52
45	169.44
46	166.29
47	163.07
48	159.80
49	156.47
50	153.09
51	149.67
52	146.20
53	142.68
54	139.13
55	135.56
56	131.95
57	128.33
58	124.70
59	121.05
60	117.41
61	113.77
62	110.14
63	106.52
64	102.93
65 या अधिक	99.37]

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कर्मकार प्रतिकर के सामान्य सिद्धांत लगभग सर्वमान्य हैं और भारत अब सभ्य देशों के बीच शायद् अकेला ही है जहां इन सिद्धांतों को सन्निविष्ट करते हुए कोई विधान नहीं है। अनेक वर्षों से अधिक उदार नियोजक को स्वेच्छा से प्रतिकर देने की आदत रही है किंतु यह प्रचलन किसी भी प्रकार के सामान्य नहीं है। इस देश में उद्योग की बढ़ती हुई जटिलता साथ ही मशीनरी का बढ़ता हुआ योग और स्वयं कर्मकारों की तुलनात्मक निर्धनता के साथ-साथ कर्मकारों को उसके पारिणामिक खतरों से यह उपयुक्त हो आता है कि जहां तक संभव हो उनकी दुर्घटना से उद्भूत होने वाली कठिनाई से संरक्षा की जानी चाहिए।

2. इस प्रकार के विधान का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि नियोजक के लिए पर्याप्त सुरक्षा युक्तियों का महत्व बढ़ाकर इससे कर्मकरों की होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार कम हो जाती है कि वह शासकीय निरीक्षण द्वारा नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त नियोजकों को अपने कर्मकारों के लिए पर्याप्त चिकित्सीय उपचार का उपबंध करने के लिए प्रोत्साहित करना ऐसी दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम कर देगा जो होती रहती हैं। कर्मकारों को इस प्रकार दी जा रही प्रसुविधाएं सुरक्षा की भावना में वृद्धि करती हैं जिसका वह उपभोग करेगा और इससे औद्योगिक जीवन अधिक आकर्षक बन जाएगा और इस प्रकार श्रमिकों की उपलभ्यता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही एक औसत कर्मकार की दक्षता में तत्समान वृद्धि की भी आशा की जा सकती है। बीमा की पद्धति से किसी नियोजक विशेष पर अत्यधिक दबाव डालने के बोझ का निवारण हो जाएगा।

3. इस प्रश्न की भारत सरकार, स्थानीय सरकारों द्वारा जुलाई, 1921 में विस्तृत परीक्षा की गई थी और भारत सरकार के अनन्तिम विचार साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे। विधान बनाने के उपयुक्त बहुसंख्यक स्थानीय सरकारों द्वारा और नियोजकों तथा कर्मकारों के संगमों द्वारा स्वीकार कर ली गई है और भारत सरकार का विश्वास है कि जनसाधारण की राय साधारणतया विधान में पक्ष में है।

4. जून, 1982 में एक समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी। इस समिति में अधिकतर इंपीरियल लेजिस्लेचर के सदस्य थे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनेक उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् समिति विधान के पक्ष में एक मत थी और उसने उन आधारों के बारे में वस्तृत सिफारिशें तैयार की जिनका अनुपालन उनकी राय में ऐसे विधान के लिए किया जाना चाहिए। अब प्रस्तुत विधेयक इन सिफारिशों का निकटता से पालन करता है। जहां आवश्यक हुआ है वहां अनेक अनुपूरक उपबंध जोड़े गए हैं किंतु व्यवहारतः कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

5. इस विधेयक में दो सुभिन्न प्रस्ताव है। अध्याय 2 में साधारण सिविल विधि में उपान्तरण किए गए हैं जो कर्मकारों को पहुंची क्षतियों के बाबत नुकसानी के लिए नियोजकों के दायित्व को प्रभावित करते हैं। यह खंड केवल साधारण सिविल न्यायालयों के समक्ष कार्यवाइयों में प्रवर्तित होंगे। इस विधेयक का मुख्य भाग कर्मकार प्रतिकर का उपबंध करता है और इस प्रवर्ग के अधीन आने वाले दावों की बाबत कार्रवाई करने के लिए विशेष तंत्र स्थापित करता है।

6. तथापि विधेयक के दोनों भाग उन्हीं वर्गों के कर्मकारों को लागू होते हैं। यदि नियोजकों के दायित्वों से संबंधित खंडों की परिधि को कर्मकार प्रतिकर उपबंधों की परिधि से अधिक व्यापक बना दिया जाए तो मुकदमेबाजी बहुत अधिक बढ़ जाने का भी पर्याप्त खतरा है। शामिल किए गए वर्ग वे हैं जिनको शामिल करने के लिए समिति ने सिफारिश की है और जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं। शामिल किए जाने वाले वर्गों के अवधारण में दो कसौटियों का पालन किया गया है:—

(1) यह कि विधेयक केवल ऐसे उद्योगों तक सीमित रखा जाए जो न्यूनाधिक संगठित हैं,

(2) यह कि केवल वे कर्मकार ही, जिनकी उपजीविका परिसंकटमय है, शामिल किए जाने चाहिए।

7. साधारण सिद्धांत यह है कि प्रतिकर सामान्यतया ऐसे कर्मकारों को दिया जाना चाहिए जो अपने नियोजन से उद्भूत और उसके अनुक्रम में दुर्घटनाओं द्वारा व्यक्तिगत क्षतियों से ग्रस्त होता हैं। प्रतिकर रोक के लिए कतिपय समिति परिस्थितयों में भी दिया जाएगा। संदेय प्रतिकर की वास्तविक दरें समिति की एकमत सिफारिशों पर आधारित है। वे प्रत्येक मामले में, समिति के सिफारिशों के अनुसार नियत की गई

अधिकतम सीमा के अध्यधीन हैं। यद्यपि यह स्मरणीय है कि अधिक वेतन पाने वाला कर्मकार ऐसे मामलों में जिनमें नियोजक के दायित्व के खंड लागू होंगे, कर्मकार प्रतिकर के लिए नियत अधिकतम से पर्याप्ततः आधिक्य मापमान पर नुकसानी प्राप्त करने के लिए समर्थ होगा।

8. यह सतत प्रयास किया गया है कि जहां तक संभव हो विवादों के कम से कम अवसर आएं। संपूर्ण विधेयक में, अपनाई गई परिभाषाओं, चयन किए गए मापमानों और अनुज्ञात अपवादों में महान उद्देश्य प्रमिततः बनाए रखना रहा है जिससे कि यथासंभव कम से कम मामलों में प्रतिकर के दावे की विधिमान्यता या उस दावे की रकम पर संदेह किया जाए। साथ ही साथ समिति की एकमत सिफारिश पर किन्हीं विवादों को, जो उद्‌भूत हों, सस्ते में और शीघ्रतया सुलझाए जाने के लिए तथा साधारणतः पक्षकारों की उस रीति में सहायता करने के लिए, जो साधारण सिविल न्यायालयों के लिए संभव नहीं है, विशेष अधिकरण बनाने का उपबंध किया गया है।

9. इस विधेयक के उपबंधों के विस्तृत स्पष्टीकरण संलग्न किए गए खंडों पर टिप्पण में दिए गए हैं।

खंडों पर टिप्पण

खंड 1 (3)— विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए और इसके सहज कार्यकरण के लिए जिसके अन्तर्गत बीमा की सुविधाओं का संगठन भी है, आवश्यक मशीनरी की स्थापना करने के लिए पर्याप्त समय देने की दृष्टि से तुलनात्तक रूप से एक लम्बी तारीख अनुज्ञात की गई है।

खंड 2 (1) (क)— पंद्रह वर्ष पर एक प्रभाजन किया गया है क्योंकि इसी आयु पर या उसके लगभग प्रायः कर्मकार के काम और मजदूरी में प्रचुर वृद्धि होती है। यह आयु भारतीय कारखाना अधिनियम, 1911 के अधीन किसी वयस्क के लिए वर्तमान न्यूनतम आयु के अनुरूप है।

खंड 2 (1) (ग)—कर्मकार के सभी निकटतर नातेदारों को शामिल किया गया है। आश्रितों के लिए यह साबित करना अनावश्यक होगा कि व मृत कर्मकार पर वस्तुतः आश्रित थे परंतु उनमें से कोई भी अपेक्षित नातेदारी साबित कर सकता है और प्रतिकर संदेय होगा। इसी के साथ ही किसी विवाद की दशा में आयुक्त को उन आश्रितों के बीच, जिन्हें वह ठीक समझता है, प्रतिकर का वितरण करने की शक्ति होगी। [देखिए खंड 11(1)।

खंड 2 (1)(च)— एक अन्तर, भागतः अस्थायी असमर्थता और भागतः स्थायी असमर्थता के बीच किया गया है। यदि कोई कर्मकार अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है तो इस आधार पर प्रतिकर देने के इंकार करना अयुक्तियुक्त होगा कि किसी और स्थान पर समान रूप से पारिश्रमिक मिलने वाला काम पा सकता है। चूंकि अधिक संभाव्यता उसे वैसा काम मिलने में कुछ समय लगे और वह उसी काम पर जाना पसंद करेगा जिससे वह परिचित है। इसके विपरीत यदि कर्मकार को उसकी उपार्जन क्षमता में बिल्कुल भी कोई हानि नहीं होती है तो उसे स्थायी रूप से असमर्थ मानना न्यायोचित नहीं है। यदि कोई कर्मकार अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी क्षति से ग्रस्त होता है तो उसके लिए स्थायी असमर्थता का कोई और सबूत देना आवश्यक नहीं होगा।

खंड 2 (1) (झ)— बहुसंख्यक भारतीय नौसैनिक ऐसे पोतों पर नियोजित होते हैं जो युनाऐटेड किंगडम में रजिस्ट्रीकृत हैं या जिनके प्रबंध के मालिक का युनाइटेड किंगडम में कारबार का मुख्य स्थान है। ऐसे नौसैनिक पहले से ही ब्रिटिश वर्कमैन कंपेंसेशन ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं और दोनों अधिनियमों में नौसैनिक को शामिल करने से गम्भीर कठिनाइयां पैदा होंगी। वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत बाकी सभी भारतीय नौसैनिक, निम्नलिखित के सिवाए आते हैं:—

(i) विदेशी पोतों पर सेवा कर रहे नौसैनिक,

(ii) छोटे तटीय पोतों पर सेवा कर रहे नौसैनिक

(iii) छोटे अन्तर्देशीय जलयानों पर सेवा कर रहे व्यक्ति

नियोजित व्यक्ति/विदेशी पोतों के लिए, जो कि वस्तुतः विदेशी भूमि हैं, विधान बनाना शायद ही व्यवहार्य है। अपवर्जित किए गए छोटे भारतीय पोत साधारणतः छोटे नियोजकों के स्वामित्व में आते हैं और आमतौर पर कुटुम्ब के व्यक्ति तैनात किए जाते हैं।

खंड 2 (1) (ञ)— यदि कोई कर्मकार अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्षतियों के किसी समूह से ग्रस्त होता है जिससे कि उस अनुसूची में यथादर्शित हानि की प्रतिशतता का योग 100 या अधिक हो जाता है तो उसके लिए यह साबित करना अनावश्यक होगा कि वह पूर्ण रूप से असमर्थ है।

परंतुक (ख) यदि स्वयं कर्मकार दुर्घटना के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है तो नियोजक को साधारणतः प्रतिकर के लिए दायी नहीं होना चाहिए। उस दशा में अपवाद किया गया है जब दुर्घटना के बहुत गम्भीर परिणाम निकलते हैं चूंकि यह महसूस किया जाता है कि ऐसे मामलों में किसी कर्मकार को पूरे प्रतिकर से वंचित करने से महान् कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः उन मामलों में सामान्य प्रतिकर का आधा दिया जाता है जहां कर्मकार की मृत्यु हो जाती है या वह जीवनभर के लिए पूर्ण रूप से अशक्त हो जाता है। ऐसे मामलों में एक अतिरिक्त तर्क अपवाद करने के लिए यह है कि दुर्घटना के प्रभाव स्वयं कर्मकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा भी गंभीर रूप से महसूस किए जाएंगे। स्वयं जनित क्षतियों के मामलों के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रकार कारित क्षतियों की बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वे दुर्घटना से उद्भूत हुई हैं।

परंतुक (ग) (i) मल वहन कर्मकार, विधेयक में शामिल किए गए हैं क्योंकि मल-गैस विष द्वारा उनकी जान जाने का खतरा है। अतः उनके मामले में विधेयक का लागू होना इस जोखिम तक ही निर्बंधित किया गया है।

परंतुक (ग) (ii) भवन निर्माण व्यवसाय का मामला अत्यधिक कठिन है। साधारण सिद्धांतों के अनुसरण करते हुए यह अवांछनीय है कि असंगठित उद्योगों को इस विधेयक की परिधि के भीतर सम्मिलित किया जाना चाहिए। तथापि भवन निर्माण व्यवसाय में कोई ऐसी तर्कसम्मत परिभाषा निकलना संभव नहीं है जो अधिक सुगठित कार्य शाखाओं में लगे व्यक्तियों को शामिल करें और अन्य सभी का अपवर्जन करे। और इस तथ्य की दृष्टि से कि यह उद्योग कर्मकार के लिए सुभिन्न रूप से परिसंकटमय है, इसे पूर्ण रूप से अपवर्जित करना अवांछनीय है अतः अनुसूची 2 (vi) में परिभाषा के माध्यम द्वारा एक प्रयास किया गया है और उद्योग के इस वर्ग को सम्मिलित करने में आने वाली प्रशासनिक कठिनाई पर काबू पाने के लिए यहां ये निर्बन्धन लगाए गए हैं।

खंड 6 (2)— कतिपय उपजीविकाओं में विनिर्दिष्ट रोगों से स्पष्ट जोखिम होते हैं यदि इन उपजीविकाओं में लगे कर्मकार विशिष्ट रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं तो यह व्यवहारिक रूप से निश्चित है कि वह रोग नियोजन से उद्भूत हुआ है किंतु अधिकांश औद्योगिक रोग धीरे-धीरे लगते हैं और ऐसे कर्मकार की दशा में जिसने अनेक नियोजक के अधीन उसी उपजीविका को चलाया हो, किसी विशिष्ट नियोजक के प्रति उत्तरदायित्व सौंपना सदैव संभव नहीं होता। ऐसा विशेष रूप से सीसा विष और फासफोरस विष के मामलों में होता है। ये दोनों रोग इस समय अनुसूची 3 में प्रविष्ट किए गए हैं। इसके विपरित ऐन्थ्रैक्स एक ऐसा रोग है जो धीरे-धीरे नहीं लगता है। तदनुसार इस खंड में उपबंध है कि जब कोई कर्मकार तीन विनिर्दिष्ट उपजीविकाजन्य रोगों में से किसी एक से ग्रस्त हो जाता है तब नियोजक को ही यह साबित करना होगा कि वह रोग नियोजन के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है। ऐन्थ्रैक्स के मामले के सिवाए, प्रतिकर का अनुदान इस शर्त के अध्याधीन है कि संबंधित नियोजक के साथ उस कर्मकार द्वारा सेवा ग्रहण करने के पश्चात् छह मास बीत जाने चाहिए।

खंड 6(3)— इस उपखंड द्वारा भारत सरकार की अनुसूची 3 में उपजीविका जन्य रोगों को जोड़ने की शक्ति दी गई है क्योंकि आगे का अनुभव या नए उद्योगों के प्रारंभ होने से यह आवश्यक हो गया है।

खंड 6(4)— कर्मकार यह साबित करने से निवारित नहीं है कि किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप इसे कोई रोग हुआ है। उदाहरण के लिए किसी कर्मकार को उसके सिर पर वार के परिणामस्वरूप कोई मानसिक रोग होता है तो उसे स्पष्ट रूप से प्रतिकर का दावा करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ ऐसे मामलों में कर्मकार को यह साबित करना होगा कि रोग एकमात्र और प्रत्यक्ष रूप से उसको पहुंची क्षति के कारण हुआ है।

खंड 6(5)— अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए और नियोजकों के विरुद्ध दोहरे दावों के निवारण के लिए, यदि कोई कर्मकार यह समझता है कि प्रतिकर के दावे के अतिरिक्त वह नुकसानी के लिए सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है तो वह यह चयन करने के लिए बाध्य होगा कि वह किस अभ्युपाय का प्रयोग करे और जब वह अपना विनिश्चय कर लेता है तो वह उससे आबद्ध है। अत्यधिक उच्च वेतन पाने वाले कर्मकार को छोड़कर सभी कर्मकारों की दशा में नुकसानी के लिए चयन करना कम लाभप्रद होगा किंतु उच्च वेतन पाने वाला कर्मकार ऐसा करने का अधिमान दे सकता है क्योंकि सिविल न्यायालय में उस रकम के बारे में जो वह वसूल कर सकता है कोई सीमा तय नहीं की गई है जबकि प्रतिकर के बारे में निश्चित सीमाएं तय की गई हैं।

खंड 7— जहां तक प्रतिकर का संबंध है, क्षतियों के परिणामों का विभाजन निम्नलिखित है:—

क. मृत्यु,

ख. स्थायी पूर्ण निःशक्तता,

ग. स्थायी भागिक निःशक्तता,

घ. अस्थायी निःशक्तताः।

बहुत से कर्मकार अपने घरों से बहुत लम्बी दूरी पर नियोजित होते हैं और जब व गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं तब वे अपने घरों को लौटाना चाहेंगे। ऐसे कर्मकार के लिए छोटे अर्द्ध मासिक संदायों के परेषण की व्यवस्था करना बहुत असुविधाजनक होगा और ऐसी व्यवस्था के कारण नियोजक भी समान रूप से परेशानी में पड़ेगा। अतः प्रथम तीन मामलों में से प्रत्येक में एकमुश्त राशि के संदाय का उपबंध किया गया है। चौथे मामले में संदाय साधारणतः अर्द्ध मासिक राशियों की आवलियों में किया जाएगा। ऐसी राशियों के संराशीकरण के लिए उपबंध खंड 10 में किया गया है।

प्रत्येक मामले में वयस्क और अवयस्क के बीच अन्तर किया गया है। यह अन्तर दो तर्कों पर आधारित है:—

(1) अवयस्क साधारणतः परिवार का भरणपोषण नहीं करता।

(2) अवयस्क प्रायः अपने कार्यरत जीवन के अधिकांश भाग के दौरान उस मजदूरी से जो वह उपार्जित करने की युक्तियुक्त प्रत्याशा करता है, बहुत कम मजदूरी प्राप्त करता है।

अतः यह उपबन्ध किया गया है कि अवयस्क की मृत्यु की दशा में प्रतिकर पचास रुपए तक सीमित किया जाना चाहिए; यह राशि अन्तेष्टि के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। इसके विपरीत यदि कोई अवयस्क जीवनभर के लिए स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो उसे स्पष्ट रूप उतना ही मिलना चाहिए जो समाज के उसी वर्ग के अवयस्क को मिलना चाहिए। यह कल्पना करने पर कि उसकी मजदूरी तत्समान वयस्क की मजदूरी की लगभग आधी होगी, उसे प्रत्येक स्थायी क्षति के लिए उस अवयस्क की मजदूरी के मासों की संख्या के दुगुने के बराबर मजदूरी दी जाती है। किंतु अधिकतम मजदूरी वही होती है। अस्थायी निःशक्तता की दशा में किसी अवयस्क के लिए अपनी साधारण मजदूरी की आधी मजदूरी पर जीवन निर्वाह करना कठिन होगा। अतः उसे अपनी साधारण मजदूरी की दो-तिहाई मजदूरी दी जाती है और खंड 9 में उपबन्ध किया गया है उसके पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रकम में वृद्धि की जाए।

प्रत्येक मामले में प्रतिकर के लिए सीमाएं नियत की गई हैं। यदि किसी अवयस्क की मृत्यु हो जाती है या वह जीवनभर के लिए पूर्ण निःशक्त हो जाता है तो अधिकतम प्रतिकर वह होगा जो रु० 83-5-4 मासिक पाने वाला व्यक्ति प्राप्त करता है। अस्थायी निःशक्तता के लिए तत्स्थानी सीमा साठ रुपए प्रतिमास है। अवयस्क के लिए क्रमशः यह सीमाएं स्थायी निःशक्तता के लिए रु० 41-10-8 और अस्थायी निःशक्तता के लिए 45 रु० है।

अनुसूची 1 में उन सभी सामान्य स्थायी क्षतियों को विनिर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया है जो सरलता से जानी जाती हैं और स्थायी पूर्ण निःशक्तता के लिए संदेय प्रतिकर की प्रतिशतता के माध्यम द्वारा निश्चित धनराशि और तत्स्थानी अधिकतम प्रतिकर विनिर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार की अनुसूची में प्रत्येक क्षति को सम्मिलित करना संभव नहीं है और यह उपबन्ध किया गया है कि अन्य मामलों में प्रतिकर उपार्जन सामर्थ्य की प्राक्कलित हानि पर आधारित होना चाहिए।

यह देखने में आएगा कि पूर्ण और मासिक अस्थायी निःशक्तता के बीच प्रतिकर के बारे में कोई अन्तर नहीं किया गया है, जहां तक कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति वस्तुतः कार्य नहीं कर रहा है। यदि क्षतिग्रस्त व्यक्ति कार्य कर रहा है तो नियोजक उसकी मूल मजदूरी में से उतनी मजदूरी काटने का हकदार है जितनी ऐसे प्रतिकर की संगणना के पूर्व, कर्मकार वस्तुतः उपार्जित कर रहा था। इस प्रकार कोई नियोजक संदेय प्रतिकर की रकम को मात्र इस कारण कम करने का हकदार नहीं है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति, यदि वह कोशिश करे तो कुछ धन उपार्जित कर सकता है। ऐसा उपबन्ध करने पर प्रत्येक मामले में उपार्जन सामर्थ्य की हानि की संगणना करना आवश्यक होगा जिसके परिणामस्वरूप अनेकानेक विवाद होंगे। नियोजक की निम्नलिखित द्वारा कपट के विरुद्ध संरक्षा की गई है:—

(1) दस दिन की प्रतीक्षा अवधि के कारण मामूली क्षतियों का अपवर्जन करके (खंड 6) (1) (क);

(2) इस तथ्य के द्वारा कि कोई कर्मकार आधी मजदूरी पर किसी अवधि के लिए कुटुम्ब का भरणपोषण करने में कठिनाई का अनुभव करेगा;

(3) खंड 9 के अधीन नियोजक को पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने के लिए दी गई शक्ति द्वारा।

किसी भी दशा में संदेय प्रतिकर जीवित आश्रितों की वास्तविक संख्या पर आधारित नहीं है। इस प्रकार नातेदारी की बाबत अनेकानेक विवाद नातेदारियों की पूर्ण सूची तैयार करने में लम्बे विलम्ब से बचा गया है। साथ ही साथ नियोजक को अनेक नातेदारों के प्रति उन व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद करने की लालसा नहीं होगी।

खंड 8—उपखंड (क) और (ख) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी कर्मकार के औसत वास्तविक उपार्जनों का उचित प्राक्कलन' देने के लिए परिकल्पित है। इस प्रकार निकाली गई राशि अनुसूची 4 में दी गई सारणी के अनुसार दूसरे सेट की राशियों में संपरिवर्तित की जानी है। इस संपरिवर्तन का उद्देश्य नियोजक तथा कर्मकार की मजदूरी के प्राक्कलन में छोटे-छोटे अन्तरों की बाबत विवादों को निवारित करना है। ऐसे

अन्तर बिरले ही पैदा नहीं होंगे; विशेषतः तब, जब किसी निःशुल्क मकान और समरूप रियायत के मूल्य का प्राक्कलन करने में होने वाली कठिनाई का स्मरण किया जाता है। इस अनुसूची का प्रभाव अधिकांश मामलों में छोटे-छोटे अन्तरों को नगण्य बनाना है।

खंड 9—दोनों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर पुनर्विलोकन के लिए उपबंध किया गया है किंतु यह आशय है कि पुनर्विलोकन तब तक सामान्य रूप से न किया जाए जब तक कोई तबदीली उपदर्शित करते हुए चिकित्सा प्रमाणपत्र न दे दिया जाए। तथापि यह अवांछनीय होगा कि अन्य मामलों में पुनर्विलोकन किया जाए और इसके लिए नियमों द्वारा उपबंध करना आशयित है।

अवयस्कों के लिए विशेष उपबंध किया गया है जिससे कि वे पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उतनी ही लाभप्रद स्थिति में आ जाएं मानो कि दुर्घटना उनकी वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात् न कि पूर्व घटित हुई हो (देखिए खंड 7 पर टिप्पण)।

खंड 10—अर्द्धमासिक संदाय को पक्षकारों के करार द्वारा एकमुश्त राशि में किसी भी समय संराशीकृत किया जा सकेगा किंतु ऐसा खंड 31 में दिए गए कतिपय संरक्षणों के अध्यधीन होगा। साथ ही साथ छह मास बीत जाने के पश्चात् दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर संराशीकरण के लिए उपबंध किया गया है। ऐसा नियोजक को उस दशा में संरक्षित करने के लिए परिकल्पित है जब तुलनात्मक रूप से मामूली सी क्षति वाला कोई कर्मकार काम पर लौटने से मना कर देता है तथा यह ऐसे कर्मकार की सहायता करता है जो अपने घर उस दशा में लौटना चाहता है जब नियोजक कोई अन्तिम समझौता करने से इंकार कर देता है।

खंड 11—जब कोई कर्मकार मर जाता है तो नियोजक आश्रितों की वास्तविक संख्या में प्रत्यक्षतः कोई रुचि नहीं रखता और कभी-कभी धन के सम्यापूर्ण वितरण को समर्थ बनाने के लिए उपलभ्य पर्याप्त जानकारी प्राप्त होने के पूर्व ही यह व्ययगत हो सकता है। अतः वितरण का उत्तरदायित्व आयुक्त को सौंप दिया गया है जो उस सीमा की परीक्षा करेगा जिस तक प्रत्येक दावेदार का फायदा होना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो वह अनुपस्थित आश्रितों के बारे में पूंछताछ करेगा। नियोजक भी संदेय कोई प्रतिकर आयुक्त के पास जमा करने के लिए तथा उससे उन्मोचन प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाए गए हैं। आयुक्त को भी अवयस्कों के हितों की पर्याप्त संरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

ऐसे मामले उद्भुत हो सकते हैं जब किसी दुर्घटना के परिणामों के बारे में उनसे निष्कर्ष निकलने कठिन हों। उदाहरण के लिए ऐसे अवयस्क की दशा में जिसकी हालत नाजुक है उन मामलों में संदेय धनराशि में बहुत अधिक अन्तर होगा जहां नियोजक द्वारा प्रतिकर का संदाय करने या आयुक्त द्वारा अपना अधिनिर्णय देने के पूर्व उसकी मृत्यु होती है या नहीं होती है। अतः आयुक्त को उपखंड (7) द्वारा मामले का अन्तिम विनिश्चय निलम्बित करने तथा अर्द्धमासिक संदायों का आदेश देने के लिए सशक्त बनाया गया है किंतु किसी भी दशा में ऐसे संदाय कर्मकारों के वसूलनीय नहीं होंगे।

खंड 12—यह यथासंभव कर्मकारों को साहूकारों तथा अन्य व्यक्तियों के दावों से संरक्षित करने के लिए परिकल्पित है।

खंड 13—कपटपूर्ण दावों का निवारण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सूचना की अवधि यथा संभव कम होनी चाहिए। बहत्तर घंटे सामान्यन अवधि के रूप में नियत किए गए हैं किंतु आयुक्त को कठिनाई के मामलों में इस अवधि का विस्तार करने की शक्ति दी गई है। खंड 18(1) में नाविकों के लिए विशेष उपबन्ध किए गए हैं।

खंड 14—यह आवश्यक है कि नियोजक अपना यह समाधन करने की स्थिति में हो कि किसी कर्मकार को वस्तुतः क्षति पहुंची है और उपखंड (1), (2) और (5) में आवश्यक उपबंध किए गए हैं।

किसी कर्मकार के लिए पर्याप्त चिकित्सीय पूर्वावधानियां न लेकर अपनी क्षतियों को गम्भीर रूप से बढ़ाना सरलता से संभव है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मकार को एक मामूली सा चीरा लगा है तो वह ऐसे घाव को रोगाणुनाशित न करके टिटेनस या रक्त विपाक्तन से अपनी मृत्यु कारित कर सकता है। उपखंड (4) किसी नियोजक की रोग के ऐसे बढ़ जाने के विरुद्ध संरक्षा करता है किंतु ऐसे मामले में ही जहां उसने किसी प्रभार के बिना अर्हित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई हो। ऐसी आशा है कि इस प्रकार का उपबंध नियोजकों को अपने कर्मकारों के लिए अच्छा चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

खंड 15(1)— जहां कोई नियोजक ठेकेदारों के माध्यम से अपना काम करता है वहां विशेष उपबंध का होना आवश्यक है। कुछ मामलों में नियोजक, नियोजन की स्थितियों के लिए युक्तियुक्ततः उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अन्य मामलों में वह नहीं ठहराया जा सकता। यहां पर किया गया यह अन्तर ऐसे ठेकेदारों के जो मूल नियोजक के व्यापार या कारबार के अनुक्रम में या प्रयोजनों के लिए नियोजित किए गए हैं और वे जो नियोजित नहीं किए गए हैं, बीच का है। केवल पश्चात्वर्ती मामले में ठेकेदार प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा अन्य सभी मामलों में मूल नियोजक दायी होगा। इस प्रकार, उदाहरण के लिए यदि खान का कोई मालिक ठेकेदारों के माध्यम से अपने श्रमिकों को लगाता है और ठेकेदार उन व्यक्तियों का काम पर पर्यवेक्षण करते हैं तो खान का मालिक उत्तरदायी होगा किंतु यदि कपास मिल का मालिक किसी इंजीनियरी फर्म को अपनी मिल का विस्तार करने के लिए नियोजित करता है तो इंजीनियरी फर्म उन व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगी जिन्हें वह नियोजित करती है।

खंड 15(2)— यह एक अस्थायी उपबंध है जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व की गई संविदाओं के मामले का इसके अन्तर्गत लाने के लिए परिकल्पित है।

खंड 15(3)— दो अपवाद किए गए हैं। यदि कोई ठेकेदार मूल नियोजक के परिसर में या उसके आसपास न करके किसी अन्य स्थान पर अपना काम करता है तो मूल नियोजक का कर्मकार की सुरक्षा की बाबत कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है और इसलिए वह उत्तरदायित्व से मुक्त है। दूसरे स्थान पर खंड 2(2) के उपबंधों को देखते हुए, अपवाद (ख) को अंतःस्थापित करना स्थानीय प्राधिकारियों

अधिक नहीं हुआ है) संराशीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। कोई सारवान धनराशि अधिनिर्णीत करने वाला कोई आदेश और संराशीकरण अनुज्ञात करने से इंकार करने वाला कोई आदेश तब समान रूप से अपीलीय होगा।

खंड 34—यह आयुक्त को देय प्रतिकर के तत्काल संदाय को सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा।

खंड 35 से 37—ये अधिकांशतः पूर्व खंडों के पारिणामिक है। कोई स्थानीय सरकार, यदि वह ऐसा करना चाहे, प्रतिकर के मामलों में न्यायालय फीस प्रेषित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अनुसूची 1, खंड 2 (1) (झ), 2(1) (ञ) और 7 पर टिप्पण देखिए।

अनुसूची 2(ii)—इसका प्रभाव उन सभी कारखानों को शामिल करने का है जो कम के कम बीस व्यक्ति नियोजित करते हैं और जो वाष्प, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति का प्रयोग करते हैं।

(iv) खंड 2 (1) (i) पर टिप्पण देखिए।

(vi) खंड 6 (1) परंतुक (ग) (ii) पर टिप्पण देखिए।

(viii) खंड 6 (1) परंतुक (ग) (i) पर टिप्पण देखिए।

अनुसूची 3 — खंड 6(2) पर टिप्पण देखिए।

अनुसूची 4 — खंड 8 पर टिप्पण देखिए।

शिमला; सी॰ ए॰ इन्नेस
20 अगस्त, 1922